अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास

सस्थिति और कार्यक्रम

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
आयोजना, मानिटरिंग और शैक्षिक प्रभाग
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ)
नई दिल्ली
1995

आमुख

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शैक्षिक विकास की दृष्टि से भारतीय समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग हैं। वे समाज के वैधानिक रूप से मान्य कमजोर वर्ग हैं और उन्हें आयोजना की मौजूदा पद्धति के अंतर्गत एक विशेष लक्षित समूह बनाया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अपनाई गई सकारात्मक नीतियों के कारण भारत ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्राथमिक शिक्षा में उनकी सहभागिता जनसंख्या में कमोबेशी उनकी संख्या के अनुपात में है। परन्तु स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अभी भी अधिक है। क्षेत्रीय और बालक-बालिका संबंधी उल्लेखनीय असमानताएं व्याप्त हैं। सरकार इस अन्तर को कम करने के प्रयास कर रही है। शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकाशन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की सांख्यिकी-रूपरेखा के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सुधार संबंधी सुझावों का स्वागत है ताकि वर्तमान प्रकाशन की अपेक्षा आने वाले संस्करण बेहतर हो सकें। आशा है कि यह प्रकाशन उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिन्हें वंचित क्षेत्रों के शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन करने में रुचि है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद्ध सभी ब्यूरो तथा संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए सुसंगत सूचना देकर सहयोग प्रदान किया है।

मैं इस प्रकाशन को निकालने में अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किये गये प्रयासों की भी सराहना करता हूं।

(डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर)
संयुक्त सचिव
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

दिनांक : 25 अक्तूबर, 1995

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का परियोजना स्टाफ

श्री मंगत सिंह	:	उप सचिव
श्री टी० सी० जेम्स	:	अवर सचिव
श्री चन्द्रकांत	:	सहायक निदेशक
श्रीमती उमा गर्ग	:	वरिष्ठ अन्वेषक
श्री यू० एस० राजपूत	:	वरिष्ठ अन्वेषक

विषय सूची

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
	प्रस्तावना	(v)
I.	**शैक्षिक स्थिति : सिंहावलोकन**	
	1. **जनसंख्या रूपरेखा**	(1)
	2. **साक्षरता स्तर**	1
	3. **स्कूल नामांकन**	2
	4. **पढ़ाई छोड़ने वालों की दर**	3
II.	**नीति निर्धारण**	
	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०-1986)	4
	2. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना, 1992**	5
III.	**कार्यक्रम**	
	क. शिक्षा विभाग	6
	(i) प्रारंभिक शिक्षा	6
	(ii) माध्यमिक शिक्षा	8
	(iii) **विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा**	10
	(iv) तकनीकी शिक्षा	10
	(v) प्रौढ़ शिक्षा	13
	(vi) महिलाओं के अधिकार	14
	(vii) छात्रवृत्तियां	14
	(viii) भाषायें	14
	(ix) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	14
	(x) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान	17
	(xi) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना	17
	(xii) शैक्षिक संस्थाओं में किए जाने वाले दाखिलों तथा नियुक्तियों में आरक्षण	18
	ख. कल्याण मंत्रालय	20
	(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	20
	(ii) उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां	20
	(iii) राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां	21
	(iv) छात्रावास	22
	— अनुसूचित जातियों के लिए महिला छात्रावास	22
	— अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष छात्रावास	22
	— अनुसूचित जनजातियों के लिए महिला छात्रावास	22
	— अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष छात्रावास	23
	(v) पुस्तक बैंक	23
	(vi) कोचिंग और सम्बद्ध योजना	23

पृष्ठ संख्या

(vii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता को बढाना 23

(viii) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 23

(ix) अनुसंधान और प्रशिक्षण 24

(x) टी०एस०पी० क्षेत्रों में आश्रम स्कूल 24

(xi) डॉक्टरल और उत्तर डॉक्टरल शिक्षावृत्तियां प्रदान करना 24

(xii) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा 24

(xiii) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता 24

ग. अन्य विभाग 24

घ. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 24

संलग्नक

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, 1991 27

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर, 1991 28

(iii) विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नामांकन (1993-94) 29

(iv) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की दर (1989-90) 30

(v) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की दर (1989-90) 31

(vi) नवोदय विद्यालयों में 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार छात्रों का नामांकन 33

(vii) वर्ष 1994-95 के दौरान दी गई एन टी एस छात्रवृत्तियों की संख्या 34

(viii) वर्ष 1994-95 के दौरान डी०एम०एस० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का नामांकन। 35

(ix) 1994-95 के दौरान आर०आई०ई०/आर०सी०ई० में सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का नामांकन। 36

प्रस्तावना

1991 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ है और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6.78 करोड़ है। दोनों की जनसंख्या मिलाकर यह भारत की जनसंख्या का 24.33 प्रतिशत है। ये सामाजिक तथा आर्थिक सीढ़ी का सबसे निचला वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, समाज का रवैया उपेक्षा तथा भेद-भाव का था और दूसरी तरफ अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ आदिम जीवन निर्वाह कर रही थीं और वे शताब्दियों से मुख्य धारा से अलग थीं। शिक्षा की दृष्टि से ये दोनों समूह हमारे देश के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की हैं। प्राथमिक आधार पर इन समुदाय बहुल क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति, निःशुल्कता, मध्याह्न भोजन, वर्दियां, पुस्तकें और स्टेशनरी, शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण, उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में दाखिले संबंधी मानदण्डों में छूट, कोचिंग की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, आदि जैसी पहलों की व्यवस्था जैसे ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में बढ़ोत्तरी करने में बहुत अधिक योगदान मिला है।

केन्द्रीय सरकार में कल्याण मंत्रालय का संबंध ऐसी योजनाओं से है जो केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, महिला और पुरुष छात्रावास, आश्रम स्कूल, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता-पिता सफाई संबंधी व्यवसाय में लगे हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के लिए उनके वास्ते कोचिंग कक्षाएं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपने सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर विशेष बल देता है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :—सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०) और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों (आर०ई०सी०) में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे सभी शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिले के चयन संबंधी मानदण्डों में उस सीमा तक छूट दें कि सारे आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे जा सकें। छात्रवृत्तियां, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, शैक्षिक संस्थाओं के स्थानों का आरक्षण और जनजातीय भाषाओं में पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकें तैयार करना आदि की व्यवस्था करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कार्यकलापों में से कुछ हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और श्रम जैसे अन्य केन्द्रीय मंत्रालय अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं जहां वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दाखिले, आदि के मामले में इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं।

1. जनसंख्या पार्श्वचित्र

अनुसूचित जातियां

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ है जो देश की 84.63 करोड़ कुल जनसंख्या का 16.33 प्रतिशत है। पुरुष जनसंख्या 7.19 करोड़ और महिला जनसंख्या 6.63 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का क्रमश: 16.38 प्रतिशत और 16.29 प्रतिशत है। 1981 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.8 प्रतिशत थी। नागालैंड और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जातियां नहीं हैं।

अनुसूचित जनजातियां

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6.77 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में 3.4 करोड़ पुरुष और 3.3 करोड़ महिलाएं हैं जो देश की कुल जनसंख्या का क्रमश: 7.8 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हैं। 1981 में, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत थी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। वर्ष 1991 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का एक विस्तृत पार्श्वचित्र संलग्नक-I में दिया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवम जनजाति की जनसंख्या

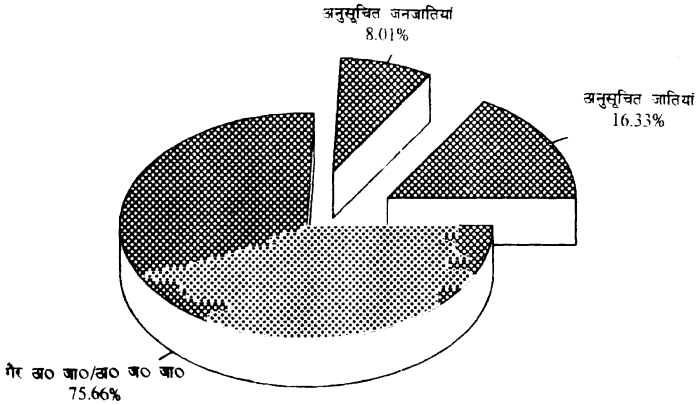

[चित्र 1]

2. साक्षरता स्थिति

अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की शुरुआत बहुत धीमी रही थी। इसका कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति थी। हालांकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात योजनाबद्ध विकास के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी साक्षरता के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या के बीच अब भी असमानताएं हैं। अनुसूचित जातियों में कुल साक्षरता वर्ष 1961 में 10.27 से बढ़कर वर्ष 1991 में 37.41 प्रतिशत हो गई है और अनुसूचित जनजातियों में यह 1961 में 8.54 प्रतिशत से बढ़कर 29.60 प्रतिशत हो गई है जो कि अन्यों के मुकाबले में बहुत कम है। तालिका-1 में पिछले तीन दशकों की साक्षरता दरों की एक तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।

तालिका-1

साक्षरता दर

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति	गैर अनु. जाति/ अनु. जनजाति
1961	10.27	8.54	27.86
1971	14.67	11.30	33.80
1981	21.38	16.35	41.30
1991	37.41	29.60	57.40

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में महिला साक्षरता अब भी असंतोषजनक हैं। 1991 में गैर अनु॰ जाति/जनजाति महिलाओं के लिए यह 44.96 प्रतिशत के मुकाबले, अनुसूचित जातियों के लिए यह केवल 23.76 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 18.19 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार साक्षरता दरें संलग्नक-II में दी गई हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरें 1961-1991

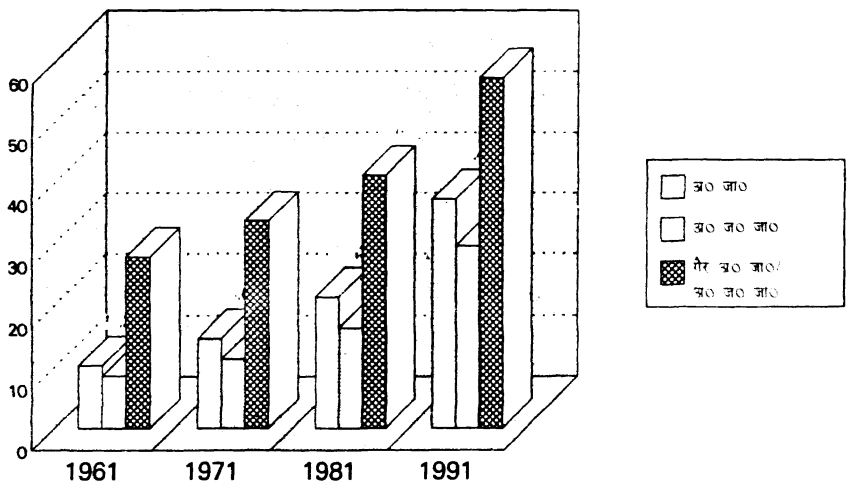

[चित्र 2]

तालिका-2

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दरें

कक्षाएं	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		सामान्य	
	1980-81	1989-90	1980-81	1989-90	1980-81	1989-90
I—V	60.16	49.03	75.66	63.81	58.70	48.08
I—VIII	76.84	67.62	86.71	79.35	72.70	64.09
I—X	86.91	79.42	91.18	86.28	82.46	74.46

उपर्युक्त तालिका में 1980-81 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल के स्तरों पर अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में हुए सुधार को दर्शाया गया है। अनुसूचित जातियों के छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर करीबन सामान्य जनसंख्या के बराबर है परन्तु अनु० जनजातियों के छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर अभी भी काफी अधिक है। वास्तव में कुल दरें संतोषजनक नहीं हैं और कक्षा-I से V तक तथा कक्षा-I से VIII में क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको काफी नीचे लाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में राज्यवार पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दरें संलग्नक IV तथा V में दी गई हैं।

प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें
(I—V)

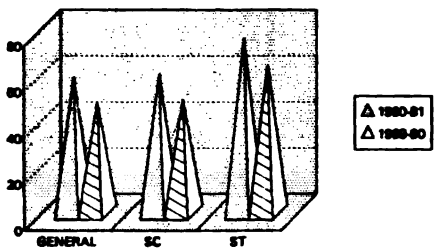

रेखाचित्र-III

मिडिल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें
(I—VIII)

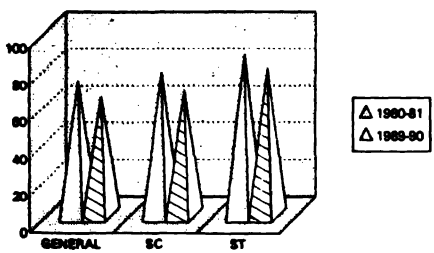

रेखाचित्र-IV

माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें
(I—X)

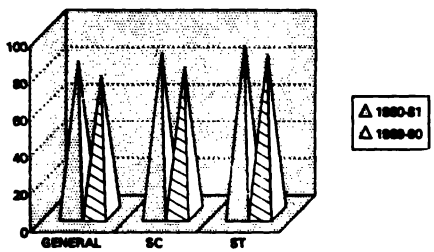

रेखाचित्र-V

II. नीति-निर्धारण

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जिसे 1992 में अद्यतन किया गया था, उन लोगों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए शैक्षिक अवसरों को एक समान बनाने और असमानताओं को दूर करने पर बल दिया गया है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर लक्षित किए जाने वाले विशेष प्रयासों के लिए नीति-निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है :

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर केन्द्र द्वारा विशेष बल दिया जाएगा जिससे कि वे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है, ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में।

इस प्रयोजन के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया है उनमें से कुछ निम्न प्रकार है —

(i) निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें;

(ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म-शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना, उनके परिवारों के सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे;

(iii) ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और उनकी पड़ताल की विधि स्थापित करना जिससे कि यह पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना;

(iv) अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की भर्ती;

(v) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाने का प्रावधान;

(vi) स्कूल-भवनों, बाल-वाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की पूर्ण रूप से सहभागिता को सुकर बनाना;

(vii) जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का उपयोग करना जिससे कि अनुसूचित जातियों को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें; और

(viii) शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की खोज को जारी रखना।

अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया है:

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए निम्नलिखित उपाय तत्काल किए जाएंगे :

(i) आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्कूलों को खोलने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के लिए सामान्य-निधियों, जवाहर रोजगार-योजना, जनजातीय कल्याण योजनाओं, आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा;

(ii) आदिवासियों की अपनी ही सांस्कृतिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरुआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का प्रयोग किया जाए तथा इसका प्रबन्ध किया जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें;

(iii) शिक्षित तथा उद्यीयमान आदिवासी युवकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे कि वे आदिवासी क्षेत्रों में अध्यापन कर सकें;

(iv) आश्रम स्कूलों सहित आवासीय-स्कूल बड़ी संख्या में स्थापित किए जाएंगे;

(v) अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं तथा जीवन-शैली को ध्यान में रखते हुए, प्रेरक योजनाएं तैयार की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां तकनीकी, व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर बल देंगी। मानसिक-सामाजिक अवरोधों को दूर करने के लिए तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में उनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए विशेष उपचारी पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे;

(vi) अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में आंगनवाड़ियां, गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे; और

(vii) शिक्षा के सभी चरणों पर पाठ्यचर्या आदिमजाति लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक-अस्मिता और उनकी विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में भी उनमें चेतना के सृजन के लिए तैयार किए जाएंगे।

कार्रवाई-योजना (का०यो०), 1992

1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संशोधन के अनुरूप, नीति-उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत-कार्य-नीतियां निर्धारित करने हेतु एक नई कार्रवाई योजना 1992 में तैयार की गई थी। कार्रवाई-योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए एक पूरा अध्याय (अध्याय-2) है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय है :—

— अनुसूचित जातियों की बस्तियों और छोटे गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों को खोलने को प्राथमिकता प्रदान करना।

— आठवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व प्रत्येक अनुसूचित जनजाति बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था।

— जनजातीय क्षेत्रों में समेकित रूप में एक शैक्षिक-योजना का क्रियान्वयन। स्कूल—पूर्व शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ना ताकि पूरी जनसंख्या द्वारा पूर्ण साक्षरता को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

— उन स्थानों पर जहां अनुसूचित जातियों के बच्चे औपचारिक स्कूलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहां गैर-औपचारिक और दूरस्थ-शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना।

— अनु०जा०/अनु०ज०जा० के निर्धन परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से लड़कियों को स्कूलों में, छात्रवृत्तियों, वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्री और मध्यान्ह-भोजन के रूप में पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

— दो वर्षों की अवधि में आपरेशन-ब्लैक-बोर्ड योजना के अन्तर्गत सभी जनजातीय क्षेत्रों और हरिजन बस्तियों को शामिल करना।

— प्राथमिक स्कूलों में प्रारम्भिक अवस्थाओं में जनजातीय समुदायों के बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था करना।

— विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानक भाषा और बोली भिन्न-भिन्न है, मानक अध्यापन/प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध करना।

— प्रारम्भिक स्कूलों के लिए पहले ही निर्धारित न्यूनतम साक्षरता स्तर को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना।

— सभी जनजातीय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक सूक्ष्म-आयोजना का एक अभिन्न अंग बनाना।

— पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अनु०जा०/अनु०ज०जा० की जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करना।

— अनु०जा०/अनु०ज०जा० क्षेत्रों में उत्तर साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करना।

— शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से कोचिंग, प्रशिक्षण और उपचारी अध्यापन कक्षाओं का आयोजन।

— माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक कक्षाओं में अनु०जा०/अनु०ज०जा० की छात्राओं के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।

— सभी शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षकों की भर्ती।

— नवोदय विद्यालयों में या तो राष्ट्रीय मानदण्ड के आधार पर या जिले में अनु०जा०/अनु०ज०जा० अनुपात की प्रतिशतता के आधार पर, जो भी अधिक हो, दाखिले में आरक्षण।

— संहार अनुदान प्राप्त करने वाली प्राइवेट/सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान।

— शिक्षक बनने के लिए अनु०जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों को प्रोत्साहित करना। शिक्षकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रैश-कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

— अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनु०जा०/अनु०ज०जा० की बहुलता वाले क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक गति-निर्धारक संस्थाओं की शृंखला स्थापित करना।

— अनु०जा०/अनु०ज०जा० के छात्रों के छात्रावासों के स्तरों में सुधार करना।

— स्कूली पाठ्यचर्या में डा० अम्बेडकर के दर्शन को शामिल करना।

क. शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में शिक्षा विभाग ने विद्यमान कार्यक्रमों को जारी रखने के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए कई उपाय आरम्भ किए हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा के सभी स्तर शामिल हैं।

1. प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराना संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के दायित्व का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक निर्देशों के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपाय शामिल किए जाते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराने में उस तक पहुंच का होना ही प्रमुख मुद्दा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा हेतु पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूल खोलने सम्बन्धी मानदण्डों जिनमें सामान्यतया 300 की जनसंख्या बस्ती से एक किलो मीटर पैदल दूरी होती है, इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में इस मानदण्ड को 200 की जनसंख्या की बस्ती को एक किलो मीटर पैदल दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराकर इसे लचीला बनाया गया है। सभी राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया है। अधिकांश राज्यों में स्थानीय निकायों और निजी सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भी शिक्षा निःशुल्क है।

अधिकांश राज्यों द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शिक्षा के अन्य खर्चे जैसे पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, स्कूल बस्तों, परिवहन आदि सम्बन्धी लागत को पूरा करने के लिए सहायता दी जाती है। किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की वर्ष 1986 की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तरों पर 1,46,36,266 बच्चों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान की गई जो प्रारम्भिक स्तर पर दाखिल छात्रों का मात्र 12 प्रतिशत है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 1,60,73,242 छात्रों को मुफ्त वर्दियां मिली। उनमें से, 33.04 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जातियों के तथा 11.50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजातियों के है। 49.98 प्रतिशत छात्राएं हैं। लाभभोगियों में से 77.44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड : आपरेशन ब्लैकबोर्ड को प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम अनिवार्य अवस्थापना प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में वर्ष 1987 में शुरू किया गया। इसके तीन उद्देश्य हैं (क) सभी प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का प्रावधान; (ख) प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य शिक्षण/अध्ययन सामग्री को सुनिश्चित करना; तथा (ग) सभी मौसमों के लिए भवन में प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो कमरों का प्रावधान। 31 अगस्त, 1995 को, 522, 902 प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अध्ययन सामग्री संस्वीकृत की गयी। 150,000 शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 125,000 पद भरे जा चुके हैं। लगभग आधे पद महिला उम्मीदवारों से भरे गए हैं, 150,000 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है। इस स्कीम पर अब तक 1,280 मिलियन रुपए की राशि खर्च की गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के तहत शेष प्राथमिक स्कूलों को भी इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुसूचित जातियों जनजातियों की बस्तियों में स्थित सभी प्राथमिक स्कूलों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत शामिल किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों तथा अपर प्राथमिक स्तर पर शामिल किए जाने के लिए 3 शिक्षकों और 3 कमरों का प्रावधान शामिल करके इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। विस्तार की गई आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं।

अनौपचारिक शिक्षा : अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा पर भारत की वर्तमान कार्यनीति के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसकी पहुंच कामकाजी बच्चों लड़कियों और उन बच्चों तक है जो कई सामाजार्थिक कारणों से पूर्णकालिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कार्यान्वित गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी के उच्च स्तर पर बल देता है और लचीलापन, प्रासंगिकता और एक विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचना इसकी विशेषताएं है। इस योजना से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित सभी समुदायों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक 2,60,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए है जो 6.5 मिलियन बच्चों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। केवल लड़कियों के लिए ही लगभग 100000 केन्द्र हैं। 450 से अधिक गैर-सरकारी संगठन गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र कार्यान्वित हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : भारत में प्राथमिक शिक्षा पद्धति को दुरुस्त बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को एक परियोजनाओं के रूप में परिकल्पित किया गया है। अनेक राज्य स्तरीय शुरूआतों की प्रमुख विशेषताओं को तैयार करने के साथ-साथ संचित राष्ट्रीय अनुभव को मजबूत बनाते हुए, यह कार्यक्रम मिशन रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व-योजनाबद्ध खण्डशः दृष्टिकोण से हटकर प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है तथा विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध और समुदाय गतिशीलता पर बल देता है और जिला तथा जनसंख्या विशिष्ट योजना को आरम्भ करता है। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और बिना पोषण का केन्द्रीय हिस्सा बहुपक्षी तथा द्विपक्षी स्रोतों से जुटाया जाता है। जि०प्रा०शि० कार्यक्रम और शिक्षा की विषयवस्तु, प्रक्रिया, गुणवत्ता तथा एकरूपता की ओर ध्यानाकर्षित करने जैसे परम्परागत पैकेजों की सीमा को पार कर जाता है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास में शैक्षिक मुद्दों का समेकित दृष्टिकोण निहित है और राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर संस्थानिक क्षमता के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है ताकि प्रा०शि० के सर्वसुलभीकरण की चुनौतियों को पूरा कर सकें।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्रवाई योजना 1992 में परिकल्पित जिला विशिष्ट कार्यनीति के अनुसरण में तैयार किया गया है। जि०प्रा०शि० परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) लोगों तथा सामाजिक वर्गों में दाखिला, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों और अध्ययन उपलब्धियों में व्याप्त अन्तराल को पांच प्रतिशत से कम करना।

(ii) सभी छात्रों के लिए समग्र प्राथमिक स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर को दस प्रतिशत से भी कम तक लाना।

(iii) सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों में औसत उपलब्धता स्तरों को आंके गए आधार स्तरीय स्तरों से कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और आधारभूत साक्षरता तथा संख्यिक क्षमताओं तथा अन्य क्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा

(iv) राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं (I से V) तक सभी बच्चों को इसे मुहैया कराना अर्थात जब भी संभव हो, प्राथमिक स्कूल शिक्षा अथवा इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा।

जिलों के चयन के मानदण्ड के अनुसार इन जिलों का चयन किया जाएगा जहां वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जहां कुल साक्षरता अभियानों ने सफलतापूर्वक शिक्षा के लिए मांग जुटायी है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक चरणबद्ध तरीके से 110 जिलों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। अब तक सात राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, कर्नाटक और असम के 42 जिलों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। ये हैं :—असम में धुबड़ी, दारंग, मोरिगांव तथा कार्बी, हरियाणा में सिरसा, हिसार, जींद और कैथल, कर्नाटक में कोलार, मध्य बेलगाम तथा रायचूर; महाराष्ट्र में औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नानदेड, परभनी और लातूर; तमिलनाडु में धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, सम्बुवारयार और दक्षिणी अरकोट तथा मध्य प्रदेश में सीधी, रायगढ़, सरगुजा, पन्ना, टीकमगढ़, शाहडोल, धार, छतरपुर, सिहनोर, रायसेन, रायगढ़, रीवा, बिलासपुर, सतना, राजनन्दगांव, मन्दसौर, रतलाम और बैतुल।

इन जिलों में से, मध्य प्रदेश में 9 जिले अर्थात सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, धार, शाहडोल, रतलाम, रायगढ़, राजनन्दगांव और बैतुल जनजातीय उप योजना क्षेत्र सहित जनजातीय बाहुल्य वाले जिले हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से योजना और बजट के कार्यान्वयन के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु आदिवासी जिलों के लिए कार्यनीतियां तैयार करने तथा कम से कम संगत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों में जनजातीय जनसंख्या के भाग के अनुपात में आदिवासी छात्रों हेतु परियोजना संसाधन आबंटित करने सम्बन्धी व्यवस्था की जाती है।

जनजातियों की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने और उनकी विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने की दृष्टि से सात राज्यों के 15 जिलों में अध्ययन किए गए थे ताकि जनजाति विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। जनजातियों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :

— जनजाति आबादी में नए स्कूल

— समुचित बाल विकास सेवाओं और शिशु सदनों जैसे अन्य केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रमों के साथ मजबूत सम्पर्क जो सहोदर भाई या बहनों की देखभाल करने में सहायता करेगी ताकि लड़की स्कूल में जा सके। जनजातीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षण सामग्री।

— शिक्षकों और शैक्षणिक प्रशासन की जनजातियों में विशेष रुचि लेना।

— जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति

— जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देना

— आश्रम स्कूल

— द्विभाषी प्रवेशिकाएं (जनजातीय भाषा और हिन्दी)

— जनजातीय क्षेत्रों से विशेषत: सम्बन्ध रखने वाली पाठ्यपुस्तकें

—मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को युक्तिसंगत बनाना। अब तक स्कूलों का प्रबन्ध जनजाति कल्याण और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था। जनजाति जिलों में अब इन सब स्कूलों का प्रबंध जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। अन्य जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता देगी।

कार्यक्रम का एक मुख्य प्राचल यह है कि राज्य जनजातीय छात्रों के लिए परियोजना संसाधनों को कम से कम जिले की आबादी में जनजातियों की आबादी के हिस्से के अनुपात में आबंटित करेंगे। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश में जिला स्तर के कार्यों के लिए कुल प्रस्तावित 454.79 करोड़ रु० में से मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों के लिए 197.63 करोड़ रु० आबंटित किए गए। यह निधियों का 40 प्रतिशत है जो जनजातीय आबादी के अनुपात से अधिक है।

लोक जुम्बिश : लोक जुम्बिश का लक्ष्य राजस्थान में 2000 ईसवी तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत शिक्षा पद्धति में पहुंच और सहभागिता को बढ़ाना है तथा यह विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के बच्चों पर केन्द्रित है। इस परियोजना में ग्राम स्तर पर सूक्ष्म आयोजना के जरिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए विशेष कार्यनीतियां तैयार की जाती हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के बच्चों के लिए निःशुल्क वर्दियां तथा पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं

और कम लागत के छात्रावासों तथा आश्रम शालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। लोक जुम्बिश परियोजना का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संकेन्द्रण वाले खण्डों में है :—

अनुसूचित जाति बहुल खण्ड	अनुसूचित जनजाति बहुल खण्ड
किशनगंज	गढ़ी
चोहटॉ	शाहबाद
झालरापाटन	बिछीवारा
	प्रतापगढ़
	झाड़ोल
	धानागाजी

II. माध्यमिक शिक्षा

नि:शुल्क शिक्षा: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार (सरकारी स्कूलों में) हिमाचल प्रदेश (सरकारी स्कूलों में), कर्नाटक, तमिलनाडु (सरकारी स्कूलों में) और लक्षद्वीप में माध्यमिक स्तर तक (कक्षा X तक) शिक्षा नि:शुल्क है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, सिक्किम (सरकारी स्कूलों में) त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी तथा मध्य प्रदेश में सीनियर माध्यमिक स्तर (कक्षा XII) तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। गुजरात में लड़कों को कक्षा XI तक और लड़कियों को कक्षा XII तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। हरियाणा (सरकारी स्कूलों में), पंजाब (सरकारी स्कूलों में), मणिपुर, राजस्थान (सरकारी स्कूलों में), उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ में लड़के और लड़कियों को कक्षा आठ तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। हरियाणा (सरकारी स्कूलों में), महाराष्ट्र, राजस्थान (सरकारी स्कूलों में), उत्तर प्रदेश और दादर और नगर हवेली में लड़कियों को कक्षा XII तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में लड़कों को कक्षा VII तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। मेघालय और मिजोरम में लड़के और लड़कियों को क्रमश: कक्षा VII और X तक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

नवोदय विद्यालय: प्रतिभावान बच्चों, मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए वर्ष 1985-86 में एक योजना आरम्भ की। अब तक 24 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में तीन सौ पचास नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। 31 मार्च, 1994 की स्थिति अनुसार स्कूलों में कक्षावार दाखिला तालिका 3 में दिया गया है :

तालिका-3

31-3-94 की यथास्थिति अनुसार नवोदय विद्यालयों में दाखिला

कक्षा	गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
VI	13449	4855	3083	21187
VII	12426	4218	2408	19052
VIII	10992	3316	1822	16130
IX	9352	2868	1387	13607
X	9304	3044	1515	13868
XI	5550	1667	836	8053
XII	5148	1400	762	7310
योग	66121	21368	11813	99302

दाखिले की संख्या से पता चलता है कि 31 मार्च, 1994 की यथास्थिति अनुसार कुल दाखिलों में 21.52 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के और 11.90 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजाति के थे। इन स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्यवार दाखिले संलग्नक vi में दिए गए है।

नवोदय विद्यालयों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते कि किसी भी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम हो। स्टाफ की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का नवोदय विद्यालय समिति, उसके क्षेत्रीय कार्यालयों और विद्यालयों द्वारा पालन किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालयों ने नए दाखिलों का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया। यदि आवश्यक होता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अर्हक मानदण्डों में छूट दी जाती है।

30 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार 796 केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के 70,096 और अनुसूचित जनजातियों के 16,622 छात्र थे जो कुल नामांकन का क्रमशः 10.30 प्रतिशत और 2.44 प्रतिशत है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाता है। भर्ती के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निम्नलिखित रियायतें और छूटें दी जाती है :—

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता।

(ख) जहां पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं होते वहां न्यूनतम (कट ऑफ) अंकों का ध्यान किए बिना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय : केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में मुख्यतया रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के उन बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी जिनकी शिक्षा में उनके अभिभावकों की एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में बारंबार स्थानान्तरण से और पाठ्यक्रम में परिणामिक परिवर्तन से बाधा पड़ती है। संगठन भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। 31 मार्च, 1995 की स्थिति अनुसार 818 केन्द्रीय विद्यालय है।

कक्षा VI से XII तक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार नवोदय विद्यालयों में दाखिला

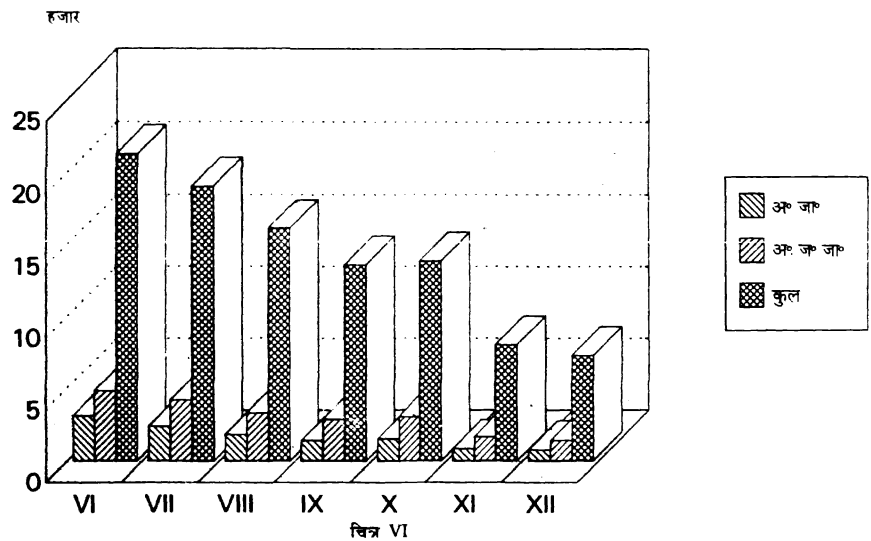

चित्र VI

(ग) आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाती है।

(घ) छूट मानकों के अन्तर्गत अलग से साक्षात्कार आयोजित किये जाते हैं।

(ङ) साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पांच रियायती चांस दिए जाते हैं।

(च) यदि आवश्यक होता है तो अनु० जातियों/अनु० जनजातियों हेतु आरक्षित पदों के लिए विज्ञापन अलग से दिये जाते है।

(छ) चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों से सम्बन्धित एक सदस्य शामिल किया जाता है।

III. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा के लिए अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति में अर्हता प्राप्त करने वाले अनु० जातियों, अनु० जनजातियों के सभी उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। यदि कोई खाली स्थान उपलब्ध नहीं है तो वि०अ०आ० विश्वविद्यालयों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों को प्रति वर्ष पचास कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान और मानविकी विषयों में प्रदान की जाती हैं जो लेक्चरारशिप हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में भाग लेते हैं तथा लेक्चरारशिप के लिए पात्रता संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करते है।

संबद्ध कालेजों में कार्यरत अनु० जातियों/अनु० जनजातियों से संबंधित अध्यापकों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, अनु० जातियों/अनु० जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित अध्यापकों को प्रत्यक्ष पुरस्कार की वि० अनु० आयोग की योजना के अन्तर्गत 50 अध्यापक अध्येतावृत्तियां (20 पी०एच०डी० के लिए और 30 एम०फिल० के लिए) संस्थापित की गई है। 1993-94 के दौरान वि० अनु० आयोग ने 50 अध्यापक अध्येतावृत्तियां (20 पी०एच०डी० और 30 एम०फिल०) प्रदान की हैं।

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रति वर्ष अनुसंधान सहवृत्तियों के 40 स्थान निर्धारित किए जाते हैं। 1993-94 के दौरान, वि० अनु० आयोग ने वर्ष 1992 के लिए 40 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची को अन्तिम रूप दिया है और 1993 से सम्बन्धित पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दाखिले वाले और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों से वित्तीय सहायता देने के बारे में मानदण्डों को शिथिल भी करता है।

आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की एक योजना तैयार की है। ये कालेज/विश्वविद्यालय, जिनमें 15 प्रतिशत से अधिक अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्र दाखिल हैं, वही सहायता के आवेदन करने के पात्र हैं।

अवर स्नातक/उत्तर स्नातक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना है (क) विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक दक्षता तथा भाषात्मक प्रवीणता को सुधारना, तथा (ख) ऐसे विषयों में छात्रों के व्याख्यात्मक स्तर को बढ़ाना जहां मात्रात्मक प्रविधियां तथा प्रयोगशाला कार्य निहित है जिससे कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए आवश्यक मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण से छात्रों को कार्यक्षमता के साथ अध्ययन करने सम्बन्धी आवश्यक स्तर तक लाया जा सके। विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षण कक्षाओं में विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा/टैस्ट को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना इस दृष्टि से की गई है ताकि अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 1993-94 में, वि० अनु० आयोग ने दो विश्वविद्यालयों के विशिष्ट सेलों की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार किए थे। इस प्रकार इन सेलों की कुल संख्या बढ़कर 97 हो गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनु० जाति/अनु० जनजाति सेलों को चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। वि०अ०आ० की सहायता कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। फिलहाल, आयोग ने 31 मार्च, 1997 तक सेलों को चलाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात आवर्ती दायित्वों को निभाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होगा।

IV. तकनीकी शिक्षा

सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना—सामुदायिक पोलिटेक्निकों की योजना 1978-79 में 36 पोलिटेक्निकों में प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत एक प्रयोगात्मक आधार पर संस्थापित की गई थी ताकि तकनीकी शिक्षा प्रणाली में किए गए निवेशों के लाभों का एक उचित हिस्सा ग्रामीण समाज के लिए सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक पॉलिटेक्निकों की योजना का उद्देश्य निम्नतर स्तर पर जनता की सहभागिता और लघु स्तरीय आयोजना के माध्यम से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए और ग्राम आदमी के जीवन की कोटि में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करके और पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाये बगैर निरंतर सामाजिक विकास करना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बनाने तथा आयु, लिंग अथवा शैक्षिक योग्यता की किसी पूर्व शर्त के बिना तकनीकी/व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रवीणता उन्मुख विशिष्ट गैर-औपचारिक आवश्यकता पर आधारित अल्पकालीन प्रशिक्षण द्वारा नारी उत्पीड़न को समाप्त करने पर बल देती है। यह प्रशिक्षण विशेषतया बेरोजगार/अल्पनियोजित युवा/विद्यालय/कालेज-की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले सुविधारहित और लाभों से वंचित वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। सामुदायिक पोलिटेक्निक समुदाय के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण, तकनीकी सहायता तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यों को भी करते है।

अपने संस्थागत ढांचे तथा कार्यजाल द्वारा सामुदायिक पोलिटेक्निक में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, प्रत्यायित स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के माध्यम से समाज में निम्नतम स्तर पर सम्बंध स्थापित करते हैं तथा दूर-दराज के गांवों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना करते हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास केन्द्र सामुदायिक पोलिटेक्निकों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर बल देने वाली प्रणाली के रूप में उनके विकास, नवीकरण, नई तकनीक अपनाने, अनुकूल बनाने, सरल तथा ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप सही तथा सुसंगत लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए कार्य करते हैं। क्षेत्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं शैक्षिक, तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए सामुदायिक पोलिटेक्निकों/ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास केन्द्रों के वास्ते संसाधन संस्थान के रूप में कार्य करती है।

रोजगार के अवसर जुटाने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुकूल लगभग 100 तकनीकी/व्यवसायिक कार्यों की पहचान की गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई निम्नतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। देश में सभी निर्धारित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (संख्या में 41) को इस योजना के अन्तर्गत पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है। सामुदायिक पोलिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते हैं :—

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण;
जनशक्ति विकास तथा प्रशिक्षण;
प्रौद्योगिकी अंतरण उद्यमशीलता;
विकास के प्रति तकनीकी तथा
सहायता सेवाएं; और
सूचना का प्रसार

सामुदायिक पोलिटेक्निकों की योजना में अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास केन्द्रों की स्थापना भी सम्मिलित है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के लिए अनुसंधान और विकास प्रणाली के तौर पर ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के विकास, संशोधन और अपनाए जाने के लिए सी०डी०आर०टी० के तौर पर अभी तक 31 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सी०डी०आर०आई० को अलग से अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निकों ने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार केन्द्रों को स्थापित किया है ताकि इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकने वाली सेवाओं और सुविधाओं को सीधे गांवों में उपलब्ध कराया जा सके। पॉलिटेक्निकों ने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परीक्षित और अनुमोदित मदों का बड़ी संख्या में अंतरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें बायोगैस प्लांट, पवन चक्कियां, धुंआरहित चूल्हे, ग्राम्य शौचालय, सौर साधित्र, कृषि उपकरण इत्यादि शामिल हैं। ये संस्थान अनेक सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों से सम्पर्क और प्रभावी सहयोग व समन्वय स्थापित करने में सक्षम रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थान सामुदायिक सहायता सेवाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। उदाहरण के लिए सामुदायिक बायोगैस प्रणाली, सामुदायिक कचरा निकासी प्रणाली और जल विषयक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम।

इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तकनीकी प्रशिक्षण दक्षताएं प्रदान करने की प्रबल संभाव्यता है और आठवीं योजना अवधि के दौरान इन सुविधाओं को अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति, विशेषकर इनकी सघनता वाले क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। ये संस्थान विशिष्ट लक्ष्य समूहों से सभी प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों में क्रियाकलाप करते हैं। नामत: स्कूल छोड़ने वालों, बालिकाओं और निराश्रित महिलाओं, ग्रामीण कारीगरों और दस्तकारों के लिए।

इस योजना के जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण घटक के अन्तर्गत प्रत्येक सी०पी० अनेक दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता आ रहा है। जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यापार शाखाओं में एक वर्ष में लगभग 300 से 400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पारिश्रमिक और स्व रोजगार तथा बढ़ी हुई उत्पादक क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। परियोजना ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों/ग्रामीण युवकों को इन पाठ्यक्रमों के दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है। इन पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए लगभग 20% उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। कमी-कमी अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामुदायिक पॉलिटेक्निकों द्वारा योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छोटे व्यापार स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने और पारिश्रमिकोन्मुख रोजगार प्राप्त करने में यथासंभव सहायता दी जाती है।

प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तरण में कम लागत के शौचालय एवं घरों, घरों में बिजली पहुंचाने और धुआंरहित चूल्हे जैसी सुविधाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिहायशी क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उपायों में सामाजिक, वानिकी, प्रौढ़ शिक्षा, निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर भी शामिल हैं। सी०पी० द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाभ के लिए तकनीकी और सामुदायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

सी०पी० आयोजित किए जा रहे। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से चुने गए क्षेत्रों में और दक्षता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के प्रयास किए जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की अधिकता वाले ग्रामों का सी०पी० द्वारा अलग से पता लगाया जाता है ताकि तैयार की गई मास्टर योजना के आधार पर ऐसे ग्रामों का एक आदर्श ग्राम के तौर पर समेकित विकास हो सके। सी०पी० अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा इस योजना के तहत प्रशिक्षित/सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता देगा।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण : प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का संशोधन वर्ष 1973 में किया गया था ताकि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरी कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों से नव-उत्तीर्ण उम्मीदवारों को

उपयोगी रोजगार/स्व-रोजगार के लिए उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रशिक्षु प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि एक वर्ष है। स्नातक प्रशिक्षार्थियों को 700/- रु० प्रति माह की दर से और डिप्लोमा धारकों को 500/- रु० प्रति माह की दर से वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। सान्तराल पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भी 500/- रु० प्रति माह (डिग्री धारक) और 400/- रु० प्रति माह (डिप्लोमा धारक) की वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। इस समय लगभग 2,300 प्रशिक्षणार्थी हैं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार इंजीनियरी कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के दाखिले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नियमानुसार क्रमश: 15% प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी आवेदकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के विशेष प्रयास करते हैं चाहे आवेदकों की संख्या इन समुदायों के लिए निर्धारित कोटे से भी अधिक हो। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों का चयन औद्योगिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है और उन्हें इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले सभी अनुसूचित जाति/जनजाति आवेदकों का चयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए जाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान : भा०प्रौ०सं० सहित विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के दाखिले की स्थिति में सुधार लाने के लिए भा०प्रौ०सं० परिषद् ने अपनी 28वीं बैठक में कुछ सिफारिशें की है। इनमें से प्रमुख निम्नानुसार है : (i) प्रतिभाशाली और मेधावी अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का चयन स्कूल स्तर पर किया जाना चाहिए और XI और XII कक्षाओं (तत्पश्चात IX से XIIवीं कक्षाओं) के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें इंजीनियरी, मैडिसिन, इत्यादि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक होने के लिए तैयार किया जा सके।

(ii) स्कूली कार्य घंटों के पश्चात चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों (आरम्भ में 60 से 80 स्कूलों में) में विशेष कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालयों में इस प्रकार की विशेष कोचिंग कक्षाओं के आयोजन की अनुमानित लागत का परिकलन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से इस प्रकार के कोचिंग कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों का चयन कर सकता है।

प्रारम्भिक पाठ्यक्रम : प्रारम्भिक पाठ्यक्रम 1983 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शुरू किए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ उम्मीदवारों को एक वर्षीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे परीक्षार्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में आने में असफल रहते हैं, उन पर एक वर्षीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों की सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में प्रतिविषय प्रति सप्ताह 5 घण्टे के आधार पर गहन अनुदेश प्रदान किए जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के अन्त में प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें आगामी वर्षों में नियमित कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया जाता है। हालांकि, शैक्षिक निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चला है कि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के प्रवेश के माध्यम से आये हुए विद्यार्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की तुलना में निम्न स्तरीय होते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :—

(i) अनुसूचित जाति के लिए पन्द्रह प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए पन्द्रह और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 स्थान उपलब्ध हैं।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अर्हता मानदण्डों में छूट दी गई है।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क सहित आवेदन प्रपत्र की कीमत कम है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यह 125/- रु० है जबकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह 300/- रु० है।

(iv) परामर्श के लिए बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनके स्थानीय निवास स्थान से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तक लघुतम मार्ग से आने और जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल का किराया दिया जाता है।

(v) उन्हें उनके सामान्य निवास स्थान से उस संस्थान तक, जहां उन्हें प्रवेश दिया गया है, का लघुतम मार्ग से रेल का द्वितीय श्रेणी का किराया भी दिया जाता है। हालांकि, इस किराये का भुगतान उनके संस्थान में आने के बाद ही किया जाता है।

(vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और आई०टी० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश पत्र प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को ट्यूशन शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है। इसके अतिरिक्त, बी०टेक०/इनटेक, एम०एससी० इनटेक, एम०टेक० में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजनालय (बुनियादी मीनू केवल) की सुविधा भी दी जाती है। प्रतिमाह 70/- रु० का जेब खर्च मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई अभिभावकों की न्यूनतम आय सीमा पर निर्भर करता है।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अपनी योग्यता के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एक वर्षीय प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है जो स्थानों की उपलब्धता और न्यूनतम मानदण्डों पर विद्यार्थियों की सफलता पर निर्भर करता है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1996 में पुन: बैठे बिना ही अवर स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिल जाता है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के ऐसे सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजनालय (बुनियादी मीनू केवल) की सुविधा प्रदान की जाती है और प्रतिमाह 70/- रु० का जेब खर्च उपर्युक्त (vi) में दिए गए उसी मानदण्ड पर निर्भर करता है।

(viii) प्रत्येक सत्र के लिए सुसमृद्ध पुस्तकालय के पुस्तक बैंक से सभी सम्बन्धित विषयों पर पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। कुछ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के व्यापक उपयोग के लिए विशेष पुस्तक बैंक हैं।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखने के लिए संकाय सलाहकार की विशेष रूप से नियुक्ति की जाती है।

विशेष प्रशिक्षण : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात्, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, उन्हें सम्बन्धित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उनकी योग्यता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस विशेष प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(i) ऐसे विद्यार्थी जो किसी सत्र में विशिष्ट अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उनका पता लगाया जाता है और घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से उनकी शैक्षिक प्रगति का अनुवीक्षण किया जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को सत्र के शैक्षिक बोझ को कम करने की सलाह दी जाती है।

(ii) चयनित क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थियों को पृथक शिक्षण प्रकार के उपचारात्मक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाते हैं और ऐसे पाठ्यक्रम सामान्य क्रेडिट के आधे होते हैं। अन्य शैक्षिक अक्षमताओं को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कुछ बुनियादी और कोर पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं ताकि वे नियमित सत्र के दौरान शैक्षिक बोझ को कम कर सकें।

(iii) संकाय सदस्यों की समय-सारिणी में एक घण्टे के स्लाट का प्रावधान है ताकि वे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से उन्हें उपयुक्त मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए वैयक्तिक रूप से मिल सकें।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश और स्थापना में प्रशिक्षुतावृत्ति प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षुतावृत्ति और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 1.87 और 3.89 लाख स्थान हैं।

V. प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०एल०एम०) : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है, जो संगठन और विकास की प्रक्रिया में भाग लेकर उनके अभाव के कारणों और उनकी परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए उन्हें जागरूक करता है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का दृष्टिकोण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य नीति को तैयार करना और सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये अभियान क्षेत्र केन्द्रित, समयबद्ध स्वैच्छिक संगठन पर आधारित लागत प्रभावी और परिणामोन्मुखी होते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की महिलाओं और लोगों पर होता है। तद्‌नुसार, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लक्ष्य, सामान्यतया इन समूहों के लोगों को शामिल करना है। उन पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह कार्यक्रम उनकी महसूस की जा रही आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम भी है। जिला साक्षरता समितियों तथा राज्य संसाधन केन्द्रों ने इन समुदायों के लोगों के लिए विशेष प्रवेशिकाएं प्रकाशित की हैं। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में यह सुनिश्चित किया गया है कि 9—14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को बिल्कुल अनदेखा न किया जाये। वास्तव में, सभी सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में, 9—14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए एक उप-कार्यक्रम होता है। इन बच्चों के लिए नीति, कार्यप्रणाली और पद्धति बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही बच्चे सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत प्रथम चरण पूरा कर लेते हैं उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहां उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष तीन सत्र पूरे करने होते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15—35 वर्ष की आयु समूह के 100 मिलियन निरक्षरों को शामिल करना है। अब तक 121 मिलियन सीखने वाले (इसमें ऐसी नव संस्वीकृत परियोजनाओं के नवसाक्षरों की प्रस्तावित संख्या शामिल है जहां सर्वेक्षण नहीं कराया गया है) साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किए जा रहे हैं। इसमें 15—35 वर्ष की आयु समूह से बाहर के सीखने वालों की संख्या भी शामिल है।

कुछ जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि सीखने वालों में से 38 प्रतिशत पुरुष और 62 प्रतिशत महिलायें हैं। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीखने वाले क्रमश: 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 8 राज्यों में स्थित 26 जनजातीय जिलों (ऐसे जिले जिनकी कुल आबादी में 40 प्रतिशत या इससे अधिक जनजाति के लोग हैं, जनजाति जिले माने गए हैं) में साक्षरता अभियानों को संस्वीकृति दी है। ये 8 राज्य हैं : असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और दादरा और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्र। कुछ जनजातीय जिलों, जैसे बिहार में दुमका, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, मध्य प्रदेश में रायगढ़, उड़ीसा में सुन्दरगढ़ और राजस्थान में दुर्गापुर, ने साक्षरता चरण के अन्तर्गत अच्छे कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट भेजी हैं। उड़ीसा में केनझर का कार्य भी सामान्य है। शेष जिले अभियान के प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

जिन जिलों में सकल साक्षरता अभियान पूर्ण हो चुका है वहां उत्तर साक्षरता अभियान चलाए जायेंगे। यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू होता है ताकि उत्तर साक्षरता व समुदाय शिक्षा की सुविधायें प्रौढ़ नव साक्षरों को उपलब्ध कराई जा सकें। सकल साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियानों को प्रति शिक्षु 165/- रु० की लागत से निधियां प्रदान की जाती हैं जो केन्द्रीय व राज्य सरकारों के

बीच 2 : 1 अनुपात से पूरा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मामले में वित्तपोषण केन्द्रीय व राज्य सरकार के बीच 4 : 1 के अनुपात से होगा।

VI. महिलाओं के अधिकार

महिला सामाख्या : महिला सामाख्या का मूल उद्देश्य शिक्षा द्वारा महिलाओं को अधिकार देना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा तथा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को संघटित करना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश के 15 जिलों में विद्यमान है तथा इसमें ग्रामीण स्तर पर ''संघ'' नाम से पुकारे जाने वाले महिलाओं के समूहों को तैयार करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलायें बड़ी संख्या में भाग लेती है तथा पानी, स्वास्थ्य, आर्थिक कार्यकलाप व सामाजिक हिंसा जैसे मामलों को सुलझाती हैं।

VII. छात्रवृत्तियां

ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना: यह योजना 1971-72 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य समान शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर उनमें अन्तर्निहित उत्कृष्टता के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश में समुदाय विकास ब्लॉक के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां माध्यमिक स्कूल स्तर (कक्षा VI/VII) के अन्त में दी जाती है तथा शिक्षा के + 2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है और जिस स्तर पर उत्तर मैट्रिक शिक्षा के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आरम्भ होती है। छात्रों का चयन रा०शै०अ०प्र०प०/ राज्य शै०अ०प्र०प० की सहायता से राज्य सरकारों व संघशासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दरें 30/- रु० से 100/- रु० प्रति माह होगी, जो कि अध्ययन के पाठयक्रम पर निर्भर होगी। प्रति वर्ष 43,000 पुरस्कारों का श्रेणीवार वितरण निम्न अनुसार है :—

(i)	सामान्य श्रेणी	प्रति समुदाय विकास ब्लॉक 4 छात्रवृत्तियां (4×5000)	20,000
(ii)	भूमिहीन श्रमिकों के बच्चे	प्रति समुदाय विकास ब्लॉक 2 छात्रवृत्तियां (2×5000)	10,000
(iii)	अनुसूचित जाति के बच्चे	प्रति समुदाय विकास ब्लॉक 2 छात्रवृत्तियां (2×5000) तथा 20% या अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले प्रति समुदाय ब्लॉक के लिए एक छात्रवृत्ति (1×1500)	11,500
(iv)	अनुसूचित जनजाति	प्रति आदिवासीय समुदाय विकास ब्लॉक के लिए 3 छात्रवृत्तियां (3×500)	1,500
	कुल :		43,000

VIII. भाषाएं

आदिवासीय भाषाओं का विकास: केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर आदिवासीय भाषाओं के लिए पाठयपुस्तकें, प्राईमर, भाषा वर्णन, सर्वेक्षण, सन्दर्भ सामग्री, द्विभाषीय कार्यक्रम आदि तैयार करने में लगा हुआ है। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे कुछ विशिष्ट कार्यक्रम निम्नलिखित है:—

- — बिसेन हार्न मारिया, गुतोब, अदि, मोन्पा, अनल, माओ, पेत, मार, कार नीकोबारेस, करबी, दिमासा, नोक्टे भाषाओं में भाषा विषयक वर्णन (व्याकरण व शब्दकोष)।
- — हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा पर सर्वेक्षण।
- — आदिवासी भाषाओं में सन्दर्भ सामग्री।
- — आदिवासीय बच्चों के लिए द्विभाषीय शिक्षा।
- — उत्तर पूर्वी भाषाओं में प्रौढ़ साक्षरता के लिए द्विसाक्षर प्राईमर तैयार करना।
- — चुनी हुई आदिवासीय भाषाओं में विश्वकोष (बोड़ो, खासी, सन्तली, गोंडी)।
- — कुछ चुनी हुई नागा भाषाओं में स्कूल व्याकरण।
- — आदिवासीय भाषाओं के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व सामग्री निर्माण आदि।

IX. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् अनौपचारिक शिक्षा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिला प्रौद्योगिकी व शिक्षा संस्थानों के माध्यम से राज्य व संघशासित प्रदेशों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संसाधन सहायता एजेंसी के रूप में भूमिका निभाती है तथा इसके साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के क्षेत्र में उन स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए हैं :—

- — अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास की टीका संदर्भिका तैयार करना;
- — अनुसूचित जाति के लोगों के दृष्टिकोण से आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाकर उसकी अध्यापन अध्ययन सामग्री का विश्लेषण करना;
- — अनुसूचित जातियों के विख्यात व्यक्तियों की जीवनी पर पठन सामग्री तैयार करना;
- — अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास में रुकावटें पैदा करने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना;
- — क्षेत्रीय भाषा लिपि का प्रयोग करते हुए आदिवासी बोलियों व भाषाओं में अध्यापन अध्ययन सामग्री का विकास करना;

— आदिवासीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करना;

— आदिवासी क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

— अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की प्रोन्नति के लिए नीतियां तैयार करने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम व कार्यशालायें;

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में कक्षा I से VIII के लिए निर्देशात्मक सामग्री का विश्लेषण किया जा चुका है। अन्य राज्यों की अध्यापन अध्ययन सामग्री का विश्लेषण कार्य भी प्रगति पर है।

डॉ० अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों पर विनिबन्ध व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्य नेताओं की टीका संदर्भिका भी निकाली गई है।

अनुसूचित जनजाति की अध्ययन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न आदिवासी भाषाओं में सामग्री विकसित की गई है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर व सी०आई०ई०एफ०एल० हैदराबाद के सहयोग से आंध्र प्रदेश के गोंडा, तमिलनाडु के इरूला तथा बिहार की पांच आदिवासी भाषाओं अर्थात् हो, संतल, मुंडरी, खरिया व कुरुख में प्राईमर तथा अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी छात्रों अर्थात् मोन्पा, अदि, खामती और निशिंग में प्राईमर विकसित किए गए है। ''मीट आवर टाईबल पीपल'' के अन्तर्गत अनुपूरक सामग्री तैयार की जा रही है। ये सामग्री आदिवासी समुदाय के जीवन, संस्कृति व पर्यावरणिक परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई राष्ट्रीय प्रतिभा योजना छात्रवृत्तियां 1994-95

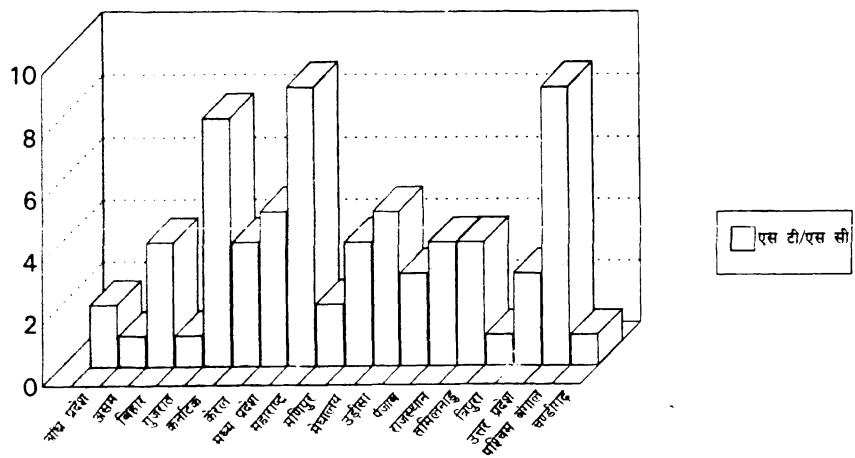

चित्र VII

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में आनन्ददायक कार्यकलापों को शुरू करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से आने वाले शिक्षुत्रों की भागीदारी के स्तर को सुधारने के लिहाज से जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा जनजातीय शिक्षा में राज्य/जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना : राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत दसवीं कक्षा के अन्त में प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाकर उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी प्रतिभा और अधिक विकसित हो सके और वे सम्बन्धित क्षेत्रों में देश की सम्पत्ति बन सकें। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2 स्तरों

पर परीक्षाओं के आधार पर 750 विद्यार्थी छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुने जाते हैं।

वर्ष 1963 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के प्रारम्भ होने से लेकर वर्ष 1980 तक राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्तियां पूर्णतया योग्यता के आधार पर प्रदान की गई। वर्ष 1980 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अर्हक अंकों में 20% की छूट की अनुमति देकर 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई। यह उस समय की 500 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त थीं। यह 50 छात्रवृत्तियां विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के लिए थी, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी 500 छात्रवृत्तियों में भी शामिल थे। वर्ष 1983 में छात्रवृत्तियों की संख्या 550 से बढ़ाकर 750 कर दी गई। 1200 छात्रवृत्तियां बढ़ने के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्तियां और बढ़ा दी गई। इस समय अनुसूचित जाति/जनजाति सहित सामान्य श्रेणी में 680 छात्रवृत्तियां हैं तथा 70 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्तियों में 500:50 से 680:70 तक की वृद्धि हुई है।)

वर्ष 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों/क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिला

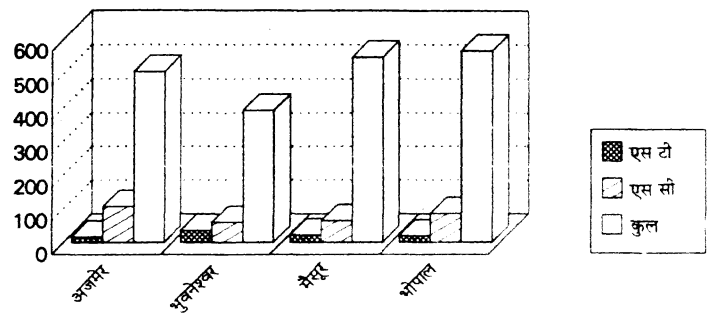

वर्ष 1994-95 के दौरान डी॰ एम॰ एस॰ में दाखिला

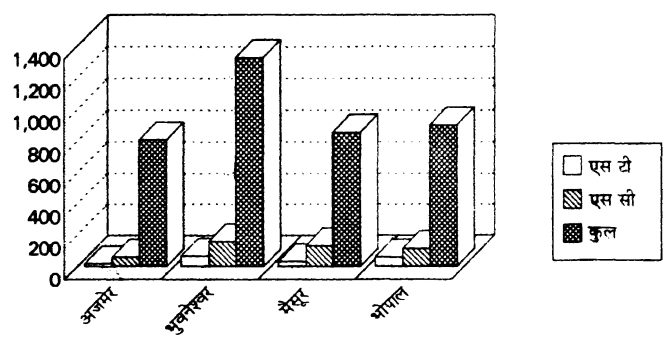

चित्र VIII & IX

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्राप्त छात्रवृत्तियों की संख्या का विवरण संलग्नक-VII में दिया गया है।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज : रा० शै० अ० प्र० प० के मुख्य कार्यों में से एक मुख्य कार्य सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा के नये कार्यक्रम विकसित करना है। क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, शिक्षक शिक्षकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रयोग के लिए शिक्षा सामग्री का विकास तथा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज अपने अधिकार क्षेत्र में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के प्रतिवेदन सहित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है। नामांकन संख्या से यह पता चलता है कि वर्ष 1993-94 के दौरान सभी चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों में 309 अनुसूचित जाति तथा 92 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है जो कि कुल नामांकन का क्रमशः 14.38 तथा 4.58 प्रतिशत है। वर्ष 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन का विवरण संलग्न VIII एवं IX तथा आकृति VIII एवं IX में दिया गया है।

X राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास करना सातवीं पंचवर्षीय योजना से नीपा के कार्यक्षेत्र का मुख्य विषय रहा है। नीपा ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं से संबंधित कई अध्ययन किए हैं। यह अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक विकास से संबंधित सामग्री को भी तैयार कर रहा है। यह सामग्री संस्थान के लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित कार्य कर रहे आश्रम स्कूलों के विभागाध्यक्षों तथा जिला स्तर के अधिकारियों के लिए नीपा द्वारा वर्ष 1985 से अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष 1993-94 के लिए आयोजित प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यकलापों में "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर" प्रदान करने से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करने पर पूरा ध्यान दिया गया है।

वर्ष 1993-94 में नीपा ने इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आंध्र प्रदेश में जनजातीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना बना रहा है। संस्थान को "जनजातीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास" विषय पर अध्ययन करने की भी योजना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला स्तर पर एक विश्लेषण किया गया।

XI. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना

विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना को सर्वप्रथम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ऐसी योजनाएं जिनके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, योजना का विशिष्ट हिस्सा है। इन योजनाओं में इन समुदायों के लिए संसाधनों को अलग से निर्धारित किया गया है।

विशेष घटक योजना : विशेष घटक योजना इस प्रकार बनाई गई है कि अनुसूचित जातियों के भौतिक तथा वित्तीय विकास के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में सामान्य क्षेत्रों से लाभ तथा लागत की गति को सुकर बनाया जा सके। इन योजनाओं के द्वारा संघटित आय उत्पादन करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की सहायता की जाती है। ये उनकी मूल आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, आवास स्थान, प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में सुधार करने के प्रयत्न भी करेंगे ताकि सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार लाया जा सके।

प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में पता लगाई गई योजनाओं, जिनका अनुसूचित जाति के विकास से सीधा संबंध है, के लिए मंत्रालय की योजना की विभाज्य धन राशि से धन राशि अलग रखने का विचार योजना आयोग द्वारा शुरू किया गया था और इसके लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया था :—

— अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए उचित आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम बनाना।

— अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सभी चल रहे कार्यक्रमों को अपनाना।

— केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों को निर्धारित करना।

जनजातीय उप योजना : जनजातीय उपयोजना एक क्षेत्र विकास योजना है, जिसमें जनजातीय जनसंख्या, जनजातीय व्यक्तियों के शोषण का उन्मूलन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका बहुत कठिन मानी गई है क्योंकि उनके संबंधित क्षेत्रों के विकास में जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय लोगों के विकास का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से उन पर है। योजना आयोग के जोर देने पर वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक कार्यक्रमों का पता लगाया गया। केन्द्रीय मंत्रालयों ने सभी चालू कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिक धनराशि तथा जनजातीय क्षेत्रों में धन-राशि को पहुंचाने के लिए संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अलग से बजट उपशीर्ष अपनाया है।

शिक्षा विभाग पिछले कुछ वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना बना रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना लागत 1549.46 करोड़ रु० है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत अलग रखी गई धनराशि 102.09 करोड़ रु० है, जनजातीय उप योजना में तदनुरूप आंकड़े 73.60 करोड़ रु० है। यह 705.14 करोड़ रु० की विभाज्य लागत से अलग है। विभाज्य लागत

से विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के लिए राशि क्रमशः 14.48 प्रतिशत तथा 10.44 प्रतिशत है।

XII. शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला और नियुक्ति में आरक्षण

आरक्षण की अवधारणा: शिक्षा जिसे संगठित शिक्षण के रूप में लिया गया है, विकास प्रक्रिया का अंग है। सैद्धांतिक रूप से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग ज्ञान और आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें। और इस शिक्षा व कौशल से बेहतर व्यावसायिक स्तर या जीवन में उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें तथा उसे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार शिक्षा से व्यक्ति की और उपपरिणाम के रूप में, समाज की सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। किसी भी खुले व प्रतियोगी समाज में शिक्षा के बारे में ये कुछेक मान्यताएं हैं। निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए व्यक्ति या उसके समुदाय को प्रभावित करने वाले प्रारंभिक सामाजिक स्तर या परिस्थिति में समानता अपेक्षित हैं। अतः उन लोगों के लिए राज्य द्वारा संरक्षण या सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें इस प्रकार का प्रारंभिक लाभ उपलब्ध नहीं है या जो सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के शिकार हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ऐसे दो मुख्य समूह हैं। उन्हें भारतीय समाज का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ वंचित समुदाय माना जाता हैं।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है तथा राज्यों को इन वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। संवैधानिक निदेशों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला और नियुक्ति में आरक्षण सहित अनेक प्रावधान/कार्यक्रम बनाए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का अंतिम लक्ष्य है—सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्हें ऊपर उठाना और बराबर के साझीदार के रूप में राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।

दाखिला में आरक्षण:

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले के मामले में आरक्षण आदेशों को लागू करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षा सचिवों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 15% सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये 7.5% सीटें आरक्षित करना हैं। दोनों ही श्रेणियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंक (यदि कोई हो) में 5% अंक की छूट देनी है। इसके बावजूद भी अगर आरक्षित सीटें भर नहीं पाती हैं तो और भी छूट दी जानी चाहिए ताकि सभी सीटें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के छात्रों द्वारा भरी जाएं। केन्द्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जाती हैं, किन्तु राज्य सरकारों के अधीन ऐसी सीटें राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। आमतौर पर राज्य सरकारें राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसार इन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करती हैं।

नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय: नवोदय विद्यालयों में दाखिलों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है परंतु यह क्रमशः 15% और 7.5% के राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। इस समय इन विद्यालयों में चुने गए कुल छात्रों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का प्रतिशत क्रमशः 20.52 प्रतिशत और 11.90 प्रतिशत है। केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिले का 15% और 7.5% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

तकनीकी शिक्षा: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरी और तकनीकी संस्थाएं अनुसूचित जातियों के लिए 15% सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% सीटें आरक्षित करती हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की संस्थाओं को राज्य नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है।

इंजीनियरी और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई॰ टी॰ आई॰): संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के अनुसार इन श्रेणियों के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षु प्रशिक्षण में दाखिला के लिए सीटें आरक्षित हैं।

चिकित्सा कालेज: राजकीय चिकित्सा कालेजों में दाखिला प्रवेश में योग्यता के आधार पर दिया जाता है।अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण दिया जाता है अर्थात् अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5%।

इसके अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में दाखिला के इच्छुक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विशेष कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा संस्थाओं में आरक्षण नीति का व्याख्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्र सरकार की चिकित्सा संस्थाओं में कड़ाई से पालन किया जाता है।

XIII: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुदेशों को दोहराया जाता रहा है, सरकार की नीति यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निम्नलिखित में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण प्रदान करें:—

(i) लेक्चरार के स्तर के शिक्षकों की भर्ती:

किसी भी खास वर्ष में भरे जाने वाले लेक्चरार के स्तर तक के शिक्षण पदों में 15% पद को अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

(ii) शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती:

सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार सभी शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति में 15% पद को अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यह शिक्षण सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही मामलों में लागू होना चाहिए,

(iii) पाठ्यक्रमों और छात्रावासों में दाखिला:

सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला में 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

इन श्रेणियों के छात्रों को निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों (यदि कोई हो) में 5% अंक की छूट दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आरक्षित सीटें भर न पाएं तो इन छात्रों के योग्यताक्रम के अनुसार और भी छूट दी जानी चाहिए ताकि सभी आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से भरी जाएं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्तियों व पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू नहीं है।

10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुदान प्राप्त होता है। इग्नू को शिक्षा विभाग द्वारा सीधे निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय हैं तथा ये अपने अपने अधिनियमों, परिनियमों और अध्यादेशों में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार काम कर रहे हैं।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और विश्व भारती द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे आरक्षण आदेशों का पालन कर रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालयों के बारे। में स्थिति इस प्रकार है:

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि नियुक्तियों में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामला उनके विद्वत परिषद् के विचाराधीन है।

(ख) जामिया मिलिया इस्लामिया विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिला और शिक्षणेतर पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण नीति का पालन करती है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षणेतर समूह ख, ग और घ पदों के सम्बन्ध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है। शिक्षण पदों में विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षक के रूप में अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की भर्ती के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

(i) लेक्चरार के पांच पदों में से एक पद आरक्षित है किन्तु जब तक अपेक्षित प्रतिशत तक अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती, अग्रनीत का यह प्रावधान जारी रहेगा;

(ii) शिक्षक के पद के आवेदन पत्र में एक ऐसे कालम का प्रावधान कि क्या उम्मीदवार अ०जा०/अ०ज०जा० का है,

(iii) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करने वाले अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना;

(iv) शिक्षण पदों पर भर्ती में अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों को वरीयता; और

(v) अ०जा०/अ०ज०जा० के ऐसे उम्मीदवारों के चुने न जाने के कारण चयन समिति द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने होते हैं जो पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

सरकार तथा आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठा रहे हैं:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विश्वविद्यालयों को निर्देश दे रहा है, वि०अ०आ० अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का पालन करने विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिलों के साथ-साथ शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालयों को स्मरण करा रहा है।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

(iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की आवधिक बैठकें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाती हैं।

(iv) आयोग ने एक मानिटरिंग समिति का भी गठन किया है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों की समीक्षा करते हैं। आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के आरक्षण नीति का

कार्यान्वयन की मानिटरिंग करने का उत्तरदायित्व आयोग के एक सदस्य को सौंपा है।

(ख) कल्याण मंत्रालय

I. उन बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां जिनके माता-पिता सफाई व्यवसायों में लगे हुए हैं :

इस योजना का लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि शौचालयों की सफाई करने वालों, सफाई कार्य करने वालों के बच्चे जो सफाई, चमड़ा उतारना, ताम्र बनाने सम्बन्धी व्यवसायों से परम्परागत रूप से जुड़े हैं, मैट्रिक पूर्व शिक्षा प्राप्त कर सकें।

यह योजना 1977-78 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए वचनबद्ध दायित्व व्यय के अतिरिक्त 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को प्रदान की जाती है।

यह योजना 1 नवम्बर, 1991 को संशोधित की गई थी अब इस योजना में श्रेणीकृत छात्रवृत्तियों अर्थात कक्षा I से V तक की कक्षाओं के लिए 25/- रु० प्रति माह, कक्षा VI से VIII तक की कक्षाओं के लिए 40/- रु० प्रति माह और कक्षा IX से X तक की कक्षा में 50/- रु० प्रति माह के साथ कक्षा I से कक्षा X तक के दिवसीय छात्रों के लिए है। इस संशोधित योजना में कक्षा III से कक्षा VIII तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति दर 200/- रु० प्रति माह है और कक्षा IX से कक्षा X तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति दर 250/- रु० प्रति माह है। यह छात्रवृत्ति वर्ष में 10 माह के लिए दिवसीय छात्रों के साथ-साथ छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। संशोधन से पूर्व यह योजना केवल कक्षा VI से कक्षा X तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं, उन्हीं के लिए थी। इस संशोधित योजना में प्रति छात्र 500 -रु० प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान देने का भी प्रावधान है चाहे भले ही वह दिवस छात्र हो अथवा छात्रावास में रहने वाला छात्र। पात्रता के लिए 1500/- रु० प्रति माह की आय सीमा 25-2-94 से पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। एक परिवार में एक शिशु की पहले वाली योजना :

(क) 1 से 8 श्रेणियों के सम्बन्ध में खत्म कर दी गई है परन्तु शर्त यह है कि यदि तीसरा या परवर्ती संतान 1-4-93 के बाद पैदा हुआ है तो केवल दो संतानें ही पात्र होंगी,

(ख) उन्हीं अभिभावकों के दो बच्चों को शामिल करने के लिए श्रेणी 9 और 10 के सम्बन्ध में इसमें छूट दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान 99254 छात्रों को तथा 1993-94 में 1,30,715 छात्रों को शामिल किया गया। 1994-95 के लिए ऐसी उम्मीद है कि 2.09 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

II. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां :

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ताकि वे मैट्रिकोत्तर अध्ययन जारी रख सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावक नियमों के अन्तर्गत विहित साधन परीक्षण पूरा कर सकते हैं, किसी भी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में दाखिला मिलने पर छात्रवृत्ति के पात्र हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू की जाती है तथा छात्रों को उनके अध्ययन के स्थान का लिहाज किए बिना उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जहां के वे होते हैं।

यह योजना 1944-45 में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मात्र 114 छात्रवृत्तियों और 1948-49 में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 89 छात्रवृत्तियों से शुरू की गई थी। 1993-94 के दौरान इन दोनों श्रेणियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की अनुमानित संख्या बढ़कर 16.75 लाख हो गई।

वर्ष 1993-94

विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए छात्रवृत्ति की दरें तथा उनकी पात्रता के मानदण्ड निम्नवत हैं :—

समूहवार अनुरक्षण भत्ते की दरें

(रु० हजार में)

समूह	दरें	
	छात्रावासीय छात्र	दिवसीय छात्र
क.	280	125
ख.	190	125
ग.	190	125
घ.	175	90
ङ	115	65

समूह
पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

(क) 1. बी०ए०एम०एस० सहित मेडिकल/इंजीनियरी पाठ्यक्रम स्नर की डिग्री तथा आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बिया तथा होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में समकक्ष पाठ्यक्रम।

2. बी०एस०सी० (कृषि) बी०वी०एस०सी० तथा उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक अध्ययन जैसी डिग्री और कृषि तथा पशुचिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(ख) 1. भारतीय चिकित्सा विज्ञान में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम और आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बिया तथा होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में समकक्ष पाठ्यक्रम।

2. इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी वास्तुकला इत्यादि में डिप्लोमा एवं समकक्ष पाठ्यक्रम।

(ग) 1. इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा विज्ञान आदि में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

2. कृषि, पशु चिकित्सा इत्यादि में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम, ग्रामीण सेवा पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर में उप अधिकारी।

3. बी०एड० आदि जैसे शिक्षक प्रशिक्षण में डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(घ) स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (दो वर्ष तथा इससे अधिक)

(ङ) 10+2 पद्धति आदि में कक्षा XI तथा XII। सामान्य स्तर के स्नातक पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष।

पात्रता के मानदण्ड

(i) जिन छात्रों की मासिक आय 2,000 रु० से अधिक है उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। जिन छात्रों की मासिक आय 1500 - रु० है वे पूर्ण अनुरक्षण भत्ता तथा शुल्क प्राप्त करने के हकदार है। जिन छात्रों की मासिक आय 1500 रु० है वे शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता का आधा भाग पाने के हकदार हैं ("क" समूह के छात्र पूरा अनुरक्षण प्राप्त करने के हकदार है)।

(ii) एक ही अभिभावक संरक्षक के केवल दो छात्र/छात्रा इसके पात्र है।

(iii) जो छात्र पूर्णकालिक नौकरी में है वे इसके पात्र नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत अध्ययन यात्रा शुल्क के लिए 100 - रु० प्रतिमाह शोधप्रबन्ध के टंकण मुद्रण के लिए 600 रु० तथा अन्धे छात्रों को 100/- रु० तथा समूह क स्व च के लिए 75 रु० तथा समूह ड के लिए 50 रु० प्रतिमाह खर्च दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रमों का अनिवार्य शुल्क भी इसमें शामिल है।

वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों की अनुमानित संख्या 17 लाख से अधिक है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विमान चालन (उड़ान) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसका प्रशिक्षण काफी खर्चीला है, में शामिल करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम में उन्हें व्यावसायिक विमान चालक लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए सभी उड़ान खर्च भी दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में छात्रवृत्ति पाने वालों की संख्या वर्ष 1994-95 से 15 से बढ़कर 20 हो गई है।

III. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के छात्रों को विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना एक योजनेतर योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य धर्मों से धर्म परिवर्तित कर अनुसूचित जातियों अथवा उनके आश्रितों, बंजारों खानाबदोश, अर्धखानाबदोश जनजातियों तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बच्चों तथा परम्परागत शिल्पियों के 30 लाभार्थी पात्र हैं जिनका प्रतिवर्ष (1991-92 से) चयन कर उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। उन्हें पी०एच०डी० तथा पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विशिष्ट विषयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी अध्ययन, मास्टर डिग्री में वरीयता दी जा रही है। इस समय स्व-चालन तथा रोबोट विज्ञान, लेजर प्रौद्योगिकी, कागज प्रौद्योगिकी, नौसेना वास्तुकला/अवतट संरचना, कम्प्यूटर इंजीनियरी/साफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा, दृष्टिमिति, संग्रहालय विज्ञान, पैकेजिंग इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, गोदी तथा पत्तन इंजीनियरी, औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्त/व्यवसाय, जैव प्रौद्योगिकी/प्रजनन प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, विमान/अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा नाभिकीय इंजीनियरी, तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री पर विशेष वरीयता दी जा रही है।

न्यूनतम अर्हताएं

(क) **पोस्ट डाक्टोरल :** मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी), पी-एच०डी०, अनुसंधान/शिक्षण/व्यावसायिक क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।

(ख) **पी-एच०डी०** मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी) शिक्षण/अनुसंधान/व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव अथवा एम०फिल० डिग्री।

(ग) **मास्टर डिग्री :** बैचलर डिग्री में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत अंक अथवा लुगदी (पल्प) तथा कागज प्रौद्योगिकी में बी०एस-सी० के पश्चात् डिप्लोमा (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी), 2 वर्ष का कार्य अनुभव।

(घ) **बैचलर डिग्री :** मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/लाइसेंसिएट में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी, दो वर्ष का कार्य अनुभव।

आयु : 35 वर्ष से कम, चयन समिति द्वारा 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

आय : प्रतिमाह 5000/- रु० से अधिक न हो।

वैद्यता: अवधि/समयावधि: अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें तीन वर्ष के भीतर ही विदेशी संस्थाओं में दाखिला लेना होगा।

अध्ययन पूरा होने अथवा अगली अवधि जो भी पहले हो उस वक्त तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं (क) पोस्ट डाक्टोरल : 1½ वर्ष (ख) पी-एच०डी० : 4 वर्ष (ग) मास्टर डिग्री : 3 वर्ष (घ) बैचलर डिग्री : 3½ वर्ष।

छात्रवृत्ति की दरें :

1. **अनुरक्षण**

(क) बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम	5940/-अमरीकी डालर
(ख) मास्टर डिग्री/पी-एच०डी०	6600/- अमरीकी डालर
(ग) पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन	7700/-अमरीकी डालर

2. **आकस्मिक व्यय :** प्रतिवर्ष 385 अमरीकी डालर तक
पुस्तकों/अनिवार्य सामग्री/अध्ययन दौरा/शोध प्रबन्ध के टंकण तथा जिल्दसाजी के लिए।

3. **उपकरण भत्ता** 1100/- रु० तक
आकस्मिक यात्रा खर्च 15/- अमरीकी डालर तक
चुनाव खर्च 150/- अमरीकी डालर

4. विश्वविद्यालय/संस्थान के सभी अनिवार्य शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा प्रवेश शुल्क आदि, तथा स्वैच्छिक स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यदि कोई हो।

5. न्यूनतम मार्ग से आने तथा जाने दोनों तरफ के किफायती श्रेणी का हवाई जहाज के टिकट की कीमत।

6. निवास स्थान से निर्धारित बन्दरगाह तक आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल भाड़ा।

सामान्य शर्तें : एक अभिभावक/संरक्षक का केवल एक ही छात्र इसका पात्र होगा।

यात्रा अनुदान : उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बंजारों, खानाबदोस तथा अर्ध खानाबदोस जाति के केवल उन्हीं छात्रों को प्रति वर्ष 9 यात्रा अनुदान दिया जाता है, जहां यात्रा खर्च देने की व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत जो छात्र विदेशी सरकार/संगठन अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान अथवा विदेशी प्रशिक्षण के लिए योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वे इसके पात्र नहीं हैं।

अभ्यर्थी के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अथवा कला या विज्ञान विषय होने पर कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरी तथा मेडिकल विषय होने पर कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

जिन अभ्यर्थियों को किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो रही है वे यात्रा अनुदान पाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रति वर्ष 30 राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां तथा 9 यात्रा अनुदान दिए जाते हैं। वर्ष 1993-94 में 30 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं। वर्ष 1954-55 में इस योजना की शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 1995 तक कुल 492 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

IV. छात्रावास

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास :—इस योजना के अन्तर्गत, मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को छात्रावासीय सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से छात्रावास भवनों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावासों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्य सरकारों (संघ राज्यों को शत-प्रतिशत) 50:50 के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से मौजूदा छात्रावास के भवनों को आवश्यकतानुसार बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को भी अनुदान दिया जाता है। बशर्ते कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग संगठन द्वारा वहन किया जाए तथा शेष 90 प्रतिशत भाग का केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाए यद्यपि, इस योजना के अन्तर्गत, भवनों के निर्माण हेतु ही केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर भी राज्यों/संघ राज्यों को छात्रावासों की टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के छात्रावास में कुल 100 सीटें होंगी जिसमें 10 प्रतिशत सीटें गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।

इस योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए वर्ष 1994-95 से छात्रावासों की निर्माण लागत की अधिकतम सीमा हटा दी गयी है।

आठवीं योजना के दौरान इस योजना का परिव्यय 26.00 करोड़ रु० है। वर्ष 1994-95 में 7208 सीटों वाले 73 छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्यों को कुल आवंटन में से 6.20 करोड़ रु० की राशि जारी कर दी गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष (1995-96) के लिए 7.00 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावास :

बालिका छात्रावास योजना के आधार पर, यह योजना वर्ष 1989-90 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, आठवीं योजना का परिव्यय 33 करोड़ रु० है। वर्ष 1994-95 में, इस योजना के अन्तर्गत 24,071 सीटों वाले 327 छात्रावासों के निर्माण के लिए 6.20 करोड़ रु० के बजट आवंटन के मुकाबले में 10.00 करोड़ रु० की राशि जारी की गई थी। वर्ष 1995-96 में इस योजना का परिव्यय 10.00 करोड़ रु० है।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास :

इस योजना के अन्तर्गत मिडिल तथा माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को छात्रावासीय सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से छात्रावास भवनों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों (संघ राज्यों को शत-प्रतिशत) 50:50 के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के छात्रावासों में कुल 100 सीटें होंगी जिसमें 10 प्रतिशत सीटें गैर-अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए 3.05 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया गया है। कुल 2,247 क्षमता वाले 42 छात्रावासों के निर्माण/विस्तार हेतु राज्यों/संघ राज्यों को यह राशि जारी कर दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास :

बालिका छात्रावास योजना के आधार पर ही अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए बाल छात्रावासों के निर्माण करने वाले मानदण्डों को अपनाया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान 1911 सीटों वाले 66 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यों को 3.07 करोड़ रु० की राशि जारी की गई थी।

V. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए बुक बैंकों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना :

इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति मिल रही है उन छात्रों के लिए मेडिकल (भारतीय चिकित्सा पद्धति/होमियोपैथी सहित), इंजीनियरी (मरिन इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी आदि सहित), कृषि तथा पशु चिकित्सा डिग्री कालेजों तथा पालिटेक्निकों में बुक बैंकों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रत्येक सेट दो छात्रों में विभक्त किया जाता है।

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को समान आधार पर (संघ राज्यों को शत-प्रतिशत आधार पर) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेट की लागत निम्नवत् हो :

पाठ्यक्रम	प्रति सेट अधिकतम लागत (रु० हजार में)
मेडिकल	7500/- रु०
इंजीनियरी	7500/- रु०
पशुचिकित्सा	5000/- रु०
कृषि	4500/- रु०
पॉलिटेक्निक	2400/- रु०

सामग्री संग्रहण के लिए एक स्टील की अलमारी तथा परिवहन जैसे आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा 2000/- रु० प्रति अलमारी है।

वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 37,877 छात्रों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 3.50 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए 3.60 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

VI. शिक्षण एवं सम्बद्ध योजना

इस योजना के अन्तर्गत, अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उद्यमों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सेवाओं में अपने प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए पूर्व परीक्षा भर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक किए गए कुल खर्च की प्रतिबद्ध देनदारी के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संघशासित क्षेत्रों के मामले में विश्वविद्यालयों तथा प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनु०जाति एवं अनु०जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षाओं के तीन मुख्य वर्गों के लिए पूर्व परीक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं हैं केन्द्रीय सिविल सेवाएं, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य सेवा परीक्षाएं जिनमें राज्य सिविल परीक्षाएं भी शामिल हैं। इस योजना में छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 400/- रुपए प्रतिमाह तथा दिवा छात्रों को 100 रु० प्रतिमाह वृत्तिका प्रदान की जाती है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 11000 छात्र लाभान्वित होते हैं। इस समय 136 केन्द्रों में पूर्व परीक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान 2.00 करोड़ रु० का कुल आबंटन किया गया। वर्ष 1995-96 के लिए 3.00 करोड़ रु० का बजट आबंटन रखा गया है।

VII. अनु०जाति/अनु०जनजाति के छात्रों की योग्यता को बढ़ाना :

इस योजना के अंतर्गत, अनु जाति/अनु जनजाति के छात्रों को उपचारी तथा विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने इस योजना को वर्ष 1987-88 में आरम्भ किया था। वर्ष 1993-94 के मध्य में इस योजना को कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था। इस योजना का उद्देश्य नवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनु०जाति/अनु०जनजाति के छात्रों को उपचारात्मक तथा विशेष शिक्षा प्रदान करके उनकी सहायता करना है ताकि वे अपनी सामाजिक तथा शैक्षिक कमियों को सुधार सकें तथा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपने प्रवेश को सुकर बना सकें क्योंकि इन पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित होता है। केन्द्र सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तपोषण करती है। वर्ष 1994-95 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल इन 11 राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया। इन 11 राज्यों में अनु०जाति/अनु०जनजाति के 2336 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए उस वर्ष 1.00 करोड़ रु० की कुल राशि जारी की गई। चालू वित्तीय वर्ष (1995-96) के लिए भी 1.00 करोड़ रु० का बजट प्रावधान है।

VIII. अनु० जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

भारत सरकार अनु० जनजातियों के कल्याण में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष हित (लाभ) के लिए गैर सरकारी संगठनों को सामान्यत: योजना लागत का 90% भाग अनुदान सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं में आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, चल चिकित्सा

यूनिटों, डिस्पैन्सरियों, श्रव्य-दृश्य यूनिटों, पुस्तकालयों, व्यावसायिक केन्द्रों, शिशु गृहों तथा बालवाड़ियों का संचालन शामिल है। वर्ष 1994-95 के दौरान 79 गैर सरकारी संगठनों को 4.96 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।

IX. अनुसूचित जातियों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यात्मक अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों/संगठनों/सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत, 39 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 23 अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन, 10 सेमिनार तथा 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

X. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की योजना वर्ष 1990-91 में आरम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वातावरण निर्माण संबंधी शिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत आश्रम विद्यालय भवनों, छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 50 : 50 के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है।

वर्ष 1994-95 के दौरान, 18 आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्यों को 2.50 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई।

XI. शोध तथा प्रशिक्षण : डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप प्रदान करना

शोध तथा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, कल्याण मंत्रालय विश्वविद्यालयों में पंजीकृत तथा जनजातीय समस्याओं पर कार्य करने वाले छात्रों/विद्वानों को शत-प्रतिशत आधार पर शोध फैलोशिप अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत, 18 डाक्टोरल तथा 1 पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप प्रदान की गई।

XII. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर योजना वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई तथा इसे सम्बद्ध राज्य सरकार की सहायता से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में उन आठ राज्यों, जिनमें वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 2% से कम थी, के 48 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना में आदिम जनजातीय वर्गों, जिनमें महिला साक्षरता दर बहुत कम होती है, की लड़कियों को भी शामिल किया गया है, कल्याण मंत्रालय शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत लागत प्रदान करता है तथा राज्य सरकार का काम, विश्वस्त तथा इच्छुक गैर सरकारी संगठनों का पता लगाना तथा परिसरों के लिए मुफ्त जमीन प्रदान करना है। ये शैक्षिक परिसर, जनजातीय लड़कियों की पांचवीं कक्षा के स्तर तक की शिक्षा तथा आफ्ट/व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हैं। एक परिसर में पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 50 लड़कियों का प्रावधान रखा गया है। सहवासियों के लिए भोजन तथा रहने की मुफ्त व्यवस्था है। इस योजना में प्रतिवर्ष वर्दी के दो सीटों की आपूर्ति, बच्चों के लिए पक्षीय चिकित्सा जांच तथा सायंकाल में लड़कियों के अभिभावकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है। अपनी पुत्रियों को इन आवासीय विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावकों को प्रतिमाह 30/- रु० का प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान, 26 नए शैक्षिक परिसर स्थापित करने तथा 16 शैक्षिक परिसरों को जारी रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 1.97 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई।

XIII. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

विशिष्ट घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना, केन्द्रीय योजना है। जिसमें अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट घटक योजना प्रतिपादित करने वाले 24 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को प्रदान की गई। विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की विशिष्ट घटक योजना के साथ प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस योजना को योजनाबद्ध तरीके से तैयार नहीं किया है।

पूर्वोक्त दिशा निर्देशों के विस्तार में विशेष केन्द्रीय सहायता को उन ब्लाकों, जिनमें अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या रहती हो में बुनियादी विकास कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य/संघशासित क्षेत्र, विशिष्ट घटक योजना के आबंटन को इस तरीके के प्रयुक्त करें कि अनुसूचित जातियों के विकास के अधिकाधिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिले। विशेष केन्द्रीय सहायता को निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है :—

(क) जिन क्षेत्रों में साक्षरता स्तर काफी कम है, उनमें आवासीय स्कूलों की स्थापना तथा संचालन, तथा

(ख) अनुसूचित जातियों के मौजूदा स्कूलों/छात्रावासों की मरम्मत तथा समुचित रखरखाव।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए बजट आबंटन 275.00 करोड़ रु० है।

ग. अन्य विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय आदि केन्द्रीय मंत्रालय अपने विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। अपने विशिष्ट क्षेत्रों में ये मंत्रालय दाखिले, छात्रवृत्तियों आदि के मामले में समकक्ष सुविधाएं प्रदान करते हैं।

घ. राज्य सरकारें

राज्य स्तर पर, अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजातियों के लिए शिक्षा, हरिजन कल्याण, जनजातीय कल्याण एवं समाज कल्याण विभागों के शैक्षिक कार्यक्रम हैं। उनके गतिविधियों का कार्य क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य में

भिन्न-भिन्न है। तथापि, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, विद्यालयों का निरीक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करना तथा परीक्षाएं आयोजित करना, आदि कार्य करना सामान्यत: शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां, मुफ्त वर्दी, आवासीय सुविधाएं प्रदान करने जैसी प्रोत्साहन योजनाएं, राज्य कल्याण विभागों द्वारा आरम्भ की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या—जनगणना-1991

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5379654	5212412	10592066	2142817	2056664	4199481
2.	अरूणाचल प्रदेश	2491	1561	4052	275397	274954	550351
3.	असम	864617	794795	1659412	1461560	1412881	2874441
4.	बिहार	6569360	6002340	12571700	3357563	3259351	6616914
5.	गोवा	12389	11975	24364	199	177	376
6.	गुजरात	1589686	1470672	3060358	3131947	3029828	6161775
7.	हरियाणा	1747821	1503112	3250933	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	666055	644241	1310296	110240	108109	218349
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	3756069	3613210	7369279	976744	938947	1915691
11.	केरल	1422614	1463908	2886522	160812	160155	320967
12.	मध्य प्रदेश	8027806	4598873	9626679	7758174	7640860	15399034
13.	महाराष्ट्र	4505375	4252467	8757842	3717783	3600498	7318281
14.	मणिपुर	18806	18299	37105	322720	309453	632173
15.	मेघालय	4981	4091	9072	760234	757693	1517927
16.	मिजोरम	597	94	691	329819	323746	653565
17.	नागालैंड	—	—	—	545156	515666	1060822
18.	उड़ीसा	2596464	2532850	5129314	3512891	3519323	7032214
19.	पंजाब	3065071	2676857	5742528	—	—	—
20.	राजस्थान	4007220	3600600	7607820	2837014	2637867	5474881
21.	सिक्किम	12424	11660	24084	47504	43397	90901
22.	तमिलनाडु	5414599	5297667	10712266	293012	281182	574194
23.	त्रिपुरा	231516	219600	451116	434225	419120	853345
24.	उत्तर प्रदेश	15599178	13677277	29276455	150420	137481	287901
25.	पश्चिम बंगाल	8326832	7753779	16080611	1938955	1869805	3808760
26.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	13750	13020	26770
27.	चण्डीगढ़	58554	47423	105977	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	1418	1312	2730	54102	55278	109380
29.	दमन और दीव	1882	2009	3891	6073	5651	11724
30.	दिल्ली	978690	816146	1794836	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	24160	24003	48163
32.	पांडिचेरी	66191	65087	131278	—	—	—
	भारत	71928960	66294317	138223277	34363271	33395109	67758380

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर—1991

	अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर			अनुसूचित जनजातियों की की साक्षरता दर		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1. आंध्र प्रदेश	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
2. अरूणाचल प्रदेश	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
3. असम	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
4. बिहार	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
5. गोवा	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
6. गुजरात	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
7. हरियाणा	39.22	52.06	24.15	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
9. कर्नाटक	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
10. केरल	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
11. मध्य प्रदेश	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
12. महाराष्ट्र	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
13. मणिपुर	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
14. मेघालय	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
15. मिजोरम	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
16. नागालैंड	—	—	—	60.59	66.27	54.51
17. उड़ीसा	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
18. पंजाब	41.09	49.82	31.03	—	—	—
19. राजस्थान	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
20. सिक्किम	51.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
21. तमिलनाडु	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
22. त्रिपुरा	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
23. उत्तर प्रदेश	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
24. पश्चिम बंगाल	42.21	54.55	28.87	27.78	40.07	14.98
25. अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	56.62	64.16	48.74
26. चण्डीगढ	55.44	64.74	43.54	—	—	—
27. दादरा और नगर हवेली	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
28. दमन और दीव	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41.49
29. दिल्ली	57.60	68.77	43.82	—	—	—
30. लक्षद्वीप	—	—	—	80.58	89.50	71.72
31. पांडिचेरी	56.26	66.10	46.28	—	—	—
भारत*	37.41%	49.91%	23.76%	29.60%	40.65%	18.19%

* जम्मू और कश्मीर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्यों कि वहां 1991 में जनगणना नहीं हो पायी थी।

स्रोत: भारत की जनगणना 1991: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संघीय प्राथमिक आंकड़े। भारत का महालेखाकार और जनगणना आयुक्त।

विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का नामांकन—1993-94

	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1. पूर्व प्राथमिक	105347	86324	191671	195036	175415	370451
	(9.95)	(8.16)	(9.88)	(18.43)	(19.87)	(19.09)
2. प्राथमिक	10411738	7169052	17580790	5153555	3441127	8594682
	(16.85)	(15.45)	(16.25)	(8.34)	(7.42)	(7.94)
3. मिडिल	3565766	2014291	5580057	1424374	769760	2194134
	(14.73)	(12.83)	(13.98)	(5.88)	(4.90)	(5.50)
4. हाई स्कूल	1402370	611154	2013524	496905	240005	736910
	(13.78)	(10.91)	(12.77)	(4.88)	(4.28)	(4.69)
5. उच्चतर माध्यमिक/इंटर कालेज इत्यादि	578871	215219	794090	185557	74885	260442
	(11.36)	(8.71)	(10.50)	(3.64)	(3.03)	(3.44)
6. बी० ए०/(आनर्स)	141936	52147	194083	57218	26267	83485
	(12.22)	(6.88)	(10.01)	(4.93)	(3.45)	(4.34)
7. बी० कॉम/(आनर्स)	47019	13878	60897	11181	3157	14338
	(6.29)	(5.00)	(5.94)	(1.50)	(1.14)	(1.40)
8. बी०एस०सी०/(आनर्स)	41267	17064	58331	8180	2579	10759
	(7.65)	(6.47)	(7.26)	(1.52)	(0.98)	(1.34)
9. बी० एड०/बी० टी०	6567	2789	9356	2144	806	2950
	(11.62)	(6.13)	(9.18)	(3.79)	(1.77)	(2.89)
10. बी० ई०/बी०एस०सी० (इंजीनियरिंग)	14580	2373	16953	3783	336	4119
	(6.08)	(7.89)	(6.28)	(1.58)	(1.12)	(1.52)
11. एम०बी०बी०एस०	4422	2726	7148	1438	1272	2710
	(7.90)	(8.46)	(8.10)	(2.57)	(3.95)	(3.07)
12. एम० ए०	20895	4813	25708	4399	1620	6019
	(15.70)	(5.46)	(12.06)	(3.31)	(1.84)	(2.82)
13. एम० कॉम	5400	1072	6472	1259	203	1462
	(9.13)	(6.36)	(8.51)	(2.13)	(1.21)	(1.92)
14. एम० एस० सी०	2956	997	3953	664	251	815
	(5.91)	(3.93)	(5.24)	(1.33)	(0.99)	(1.08)
5. एम० फिल०/पी०एच०डी०	963	251	1214	188	93	281
	(4.67)	(2.48)	(3.95)	(0.91)	(0.92)	(0.92)
16. शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल	8449	7241	15690	6372	4195	10567
	(13.63)	(10.61)	(12.05)	(10.28)	(6.15)	(8.12)
17. पॉलिटेक्नीक संस्थान	29213	4832	34045	8864	1065	9929
	(10.47)	(10.02)	(10.41)	(3.18)	(2.21)	(3.04)
18. ल० औ० कला शिल्प स्कूल	48576	7544	56120	15760	2309	18069
	(10.48)	(11.89)	(10.65)	(3.40)	(3.64)	(3.43)

टिप्पणी : ल० जा०/ल० ज० जातियों के कुल नामांकन की प्रतिशतता कोष्ठक में दर्शाई गई है। यह कुल जनसंख्या ल० जा०/ल० ज० जा० की जनसंख्या के प्रतिशत 16.33 तथा 8.01 है।

स्कूल छोड़ जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की दर —1989—90

राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्राइमरी स्तर			मिडिल स्तर			माध्यमिक स्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश @	60.53	65.83	62.80	77.41	85.44	80.85	84.17	88.74	86.15
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	46.88	55.89	50.80	64.91	63.47	64.30	62.54	62.02	62.33
4. बिहार	67.69	73.50	69.33	83.37	89.79	85.04	87.98	94.20	89.50
5. गोवा	39.27	32.06	36.02	55.52	65.68	60.28	79.26	85.57	82.27
6. गुजरात	24.95	45.55	34.13	50.40	70.34	59.11	66.50	79.78	72.21
7. हरियाणा	33.90	43.18	38.00	59.19	75.36	65.71	64.64	80.72	69.84
8. हिमाचल प्रदेश	36.29	36.50	36.39	32.27	41.88	36.44	67.02	76.81	71.12
9. जम्मू और कश्मीर	39.27	30.39	35.84	50.11	52.73	51.10	77.86	82.32	79.52
10. कर्नाटक	51.05	59.59	54.90	62.11	73.77	67.08	73.63	84.60	78.45
11. केरल	0	1.78	0.50	19.04	15.60	17.37	54.47	47.76	51.20
12. मध्य प्रदेश	36.31	52.37	42.41	62.34	79.40	67.78	75.11	86.91	78.48
13. महाराष्ट्र	38.54	51.58	44.60	52.90	69.77	60.54	67.91	81.16	73.82
14. मणिपुर	79.86	82.21	81.03	84.89	86.07	85.48	82.14	82.69	82.42
15. मेघालय	33.13	41.88	37.46	27.86	51.85	39.64	34.62	66.39	50.00
16. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	55.16	59.22	56.77	75.97	83.19	78.76	77.86	86.42	81.22
19. पंजाब	36.58	41.59	38.79	63.36	70.56	66.52	78.88	85.96	82.12
20. राजस्थान	60.42	74.37	63.89	69.53	83.53	72.18	80.82	92.39	82.96
21. सिक्किम	70.00	67.85	69.04	84.96	83.67	84.37	91.62	93.60	92.51
22. तमिलनाडु	22.56	29.68	25.92	51.04	53.14	51.97	74.75	82.69	78.31
23. त्रिपुरा	58.21	63.09	60.47	75.87	81.84	78.60	86.88	90.20	88.39
24. उत्तर प्रदेश	32.89	51.69	38.86	57.92	69.52	60.87	66.97	84.97	71.57
25. पश्चिम बंगाल @	58.54	66.71	61.92	74.18	84.88	79.02	89.74	90.12	89.88
26. अ०तथा नि०दी० समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	27.17	14.23	21.03
28. *दादरा और न०ह०	18.60	36.96	28.09	0	0	0	45.28	70.27	55.56
29. दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. दिल्ली	33.74	35.74	34.63	47.68	58.61	52.79	54.06	74.25	63.71
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	11.96	5.45	69.92	75.32	72.42
भारत	45.93	53.74	49.03	64.29	73.10	67.62	76.61	84.20	79.42

@ ये आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित है।

*गोवा में शामिल किया गया।

स्कूल छोड़ जाने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की दर वर्ष —1989—90

	प्राइमरी स्तर			मिडिल स्तर			माध्यमिक स्तर		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश [a]	65.24	70.54	67.22	84.16	89.92	86.28	89.59	92.95	90.84
2. अरुणाचल प्रदेश	63.47	59.43	61.98	78.52	77.90	78.30	81.97	88.10	84.06
3. असम	65.15	65.87	65.46	71.78	75.67	73.44	70.80	75.82	72.93
4. बिहार	70.78	70.93	70.83	85.67	87.57	86.33	90.89	92.72	91.51
5. गोवा	28.99	19.80	24.72	63.50	71.88	67.36	73.58	87.32	79.57
6. गुजरात	54.03	66.62	59.48	76.17	82.62	78.88	85.34	89.14	86.90
7. हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	30.59	34.53	32.23	36.58	45.89	40.03	67.93	70.41	68.79
9. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. कर्नाटक	47.97	50.69	49.13	56.82	66.68	61.09	72.70	77.23	74.46
11. केरल	18.88	15.88	17.44	36.02	35.30	35.68	70.14	65.86	68.12
12. मध्य प्रदेश	48.38	60.36	52.82	75.57	85.14	78.61	83.74	91.81	86.14
13. महाराष्ट्र	56.99	66.52	61.07	73.14	82.44	76.98	81.56	89.50	84.74
14. मणिपुर	77.54	78.43	77.95	84.76	85.79	85.23	85.44	87.24	86.26
15. मेघालय	40.07	55.34	47.24	72.78	72.98	72.87	91.47	93.14	92.28
16. मिजोरम	49.56	49.20	49.39	61.99	59.78	60.92	52.47	52.63	52.55
17. नागालैण्ड	34.75	43.54	39.00	70.71	64.85	68.15	75.97	73.87	75.10
18. उड़ीसा	77.66	78.66	77.98	84.33	86.92	85.26	87.49	92.84	89.38
19. पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. राजस्थान	69.76	83.15	73.08	74.74	90.17	77.65	84.93	94.30	86.45
21. सिक्किम	62.87	50.46	57.73	71.26	65.41	68.70	85.52	86.81	86.07
22. तमिलनाडु	38.35	49.10	43.29	57.65	66.11	61.31	57.52	60.30	58.60
23. त्रिपुरा	71.97	76.53	73.91	85.55	88.19	86.64	90.47	93.24	91.56
24. उत्तर प्रदेश	17.22	59.64	34.11	47.73	74.11	55.59	33.49	78.84	46.31
25. पश्चिम बंगाल [a]	64.45	69.96	66.38	81.42	88.50	83.87	92.51	92.88	92.62
26. अ० और नि०दी०म०	5.73	19.77	12.36	49.44	47.88	48.73	55.23	62.58	58.57
27. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. दादरा और न०ह०	37.97	64.90	50.34	68.29	77.04	71.75	84.32	89.28	86.45
29. *दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. लक्षद्वीप	0	0	0	41.03	50.62	45.53	75.15	81.85	78.34
32. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भारत	61.86	66.98	63.81	77.42	82.67	79.35	84.83	88.90	86.28

[a] आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित हैं।

*गोवा में शामिल किया गया।

31-3-94 तक नवोदय विद्यालयों में नामांकित किए गए छात्र (कक्षा—VI—VIII)

ज०न०विद्यालय का नाम	कक्षा-VI			कक्षा-VII			कक्षा-VIII		
	अ०जा०	अ०जन० जाति	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जाति	जोड़	अ०जा०	अ०जन० जाति	जोड़
अण्डमान तथा नि०	1	8	61	0	0	38	0	1	24
आन्ध्र प्रदेश	322	164	1659	327	136	1596	321	133	1560
अरुणाचल प्रदेश	6	201	294	1	143	217	9	115	193
असम	17	30	47	9	39	48	0	0	0
बिहार	439	231	1983	465	227	2072	453	238	2001
चण्डीगढ़	32	0	74	25	0	68	7	0	36
दादरा और न०ह०	1	18	25	2	32	42	1	12	15
दमन और दीव	6	7	93	8	2	41	1	0	13
दिल्ली	36	1	152	27	3	127	27	0	121
गोवा	3	1	97	0	0	30	6	3	42
गुजरात	150	74	660	115	72	530	78	28	425
हरियाणा	198	1	661	251	6	783	219	9	646
हिमाचल प्रदेश	210	122	685	231	83	662	164	76	549
जम्मू और कश्मीर	127	136	686	103	131	590	98	115	617
कर्नाटक	260	87	1342	170	72	1207	130	24	1055
केरल	182	25	878	181	14	840	164	24	794
लक्षद्वीप	0	20	21	0	11	12	0	10	12
मध्य प्रदेश	581	381	2630	400	239	2176	257	115	1500
महाराष्ट्र	381	190	1557	309	180	1360	287	161	1121
मणिपुर	71	304	603	79	206	496	52	191	421
मेघालय	19	183	283	27	177	276	11	81	135
मिजोरम	1	175	181	0	97	98	0	54	55
नागालैण्ड	4	90	94	1	56	57	11	38	54
उड़ीसा	182	247	848	167	222	780	175	219	765
पांडिचेरी	35	0	103	31	0	133	15	0	90
पंजाब	278	1	699	246	9	586	118	0	434
राजस्थान	327	209	1412	316	159	1337	200	112	1122
सिक्किम	2	83	142	4	35	85	0	13	13
त्रिपुरा	43	30	141	39	27	134	45	32	113
उत्तर प्रदेश	932	64	3176	684	30	2631	467	18	2204
कुल जोड़	4855	3083	21287	4218	2408	19052	3316	1822	16130

स्रोत : नवोदय विद्यालय समिति की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट

31-3-94 तक नवोदय विद्यालयों में नामांकन (कक्षा 9—12)

ज०न०वि० का नाम	कक्षा-9			कक्षा-10			कक्षा-11			कक्षा-12			कुल जोड़
	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	(VI-XII)
अण्डमान तथा नि०	9	0	50	26	30	100	0	2	17	0	4	48	347
आन्ध्र प्रदेश	312	83	1357	309	92	1358	183	41	862	116	12	741	9133
अरुणाचल प्रदेश	14	15	109	14	51	125	1	65	76	1	54	67	1081
असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
बिहार	355	107	1001	325	152	1548	177	160	1073	136	135	1014	11412
चण्डीगढ़	6	1	41	14	0	49	2	0	17	7	0	18	303
दादरा और न०ह०	3	1	18	9	6	27	0	0	0	4	4	15	142
दमन और दीप	7	1	13	17	1	45	0	0	0	0	0	0	235
दिल्ली	15	0	55	14	0	56	5	0	28	0	0	0	539
गोवा	15	2	85	18	0	92	2	0	30	6	4	22	398
गुजरात	48	43	287	60	67	321	31	36	174	22	52	149	2546
हरियाणा	164	18	505	151	15	538	105	3	352	54	1	225	3710
हिमाचल प्रदेश	132	44	194	128	74	440	106	16	278	127	59	368	3376
जम्मू और कश्मीर	71	118	527	79	66	402	10	0	72	26	3	162	3056
कर्नाटक	141	44	1002	154	50	899	117	44	732	144	37	662	6899
केरल	146	24	663	132	29	694	116	14	621	49	5	389	4879
लक्षद्वीप	2	7	9	0	17	24	1	8	14	0	0	0	92
मध्य प्रदेश	220	108	1296	300	162	1410	119	65	626	130	111	743	10381
महाराष्ट्र	218	109	953	240	148	1018	93	55	326	123	65	432	6767
मणिपुर	56	129	384	56	77	302	2	38	113	1	9	52	2371
मेघालय	24	20	83	17	15	52	2	10	61	2	10	23	913
मिजोरम	0	23	23	0	11	12	0	15	22	0	0	0	391
नागालैण्ड	8	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
उड़ीसा	165	178	208	144	174	766	95	92	428	96	109	512	4807
पांडिचेरी	21	0	119	29	11	144	9	0	49	32	0	141	779
पंजाब	89	1	341	112	1	389	71	8	232	50	0	170	2851
राजस्थान	238	110	1017	257	136	1112	220	99	839	140	85	626	7465
सिक्किम	1	2	23	4	39	74	0	44	69	0	0	0	406
त्रिपुरा	23	13	69	17	14	69	6	10	23	0	0	0	549
उत्तर प्रदेश	356	68	1677	409	77	1797	194	2	919	134	3	731	13155
कुल जोड़	2868	1387	13607	3044	1515	13863	1667	836	8053	1400	762	7310	99302

स्रोत : नवोदय विद्यालय समिति की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदत्त एन०टी०एस० छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र०सं० राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या (सामान्य)	अ०जा०/अ०ज० जातियों को प्रदत्त आरक्षित छात्रवृत्तियां
1. आन्ध्र प्रदेश	31	2
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. असम	5	—
4. बिहार	32	4
5. गोवा	—	—
6. गुजरात	2	1
7. हरियाणा	16	—
8. हिमाचल प्रदेश	4	—
9. जम्मू और कश्मीर	1	—
10. कर्नाटक	57	8
11. केरल	50	4
12. मध्य प्रदेश	32	5
13. महाराष्ट्र	152	9
14. मणिपुर	—	2
15. मेघालय	1	4
16. मिजोरम	—	—
17. नागालैण्ड	—	—
18. उड़ीसा	25	5
19. पंजाब	35	3
20. राजस्थान	47	4
21. सिक्किम	1	—
22. तमिलनाडु	54	4
23. त्रिपुरा	—	1
24. उत्तर प्रदेश	68	3
25. पश्चिम बंगाल	22	9
26. अ०नि०द्वीप समूह	—	—
27. चण्डीगढ़	6	1
28. दादरा नगर हवेली	—	—
29. दिल्ली	38	—
30. दमन एवं दीव	—	—
31. लक्षद्वीप	—	—
32. पांडिचेरी	1	—
जोड़	680	70

स्रोत : रा०शै०अनु० तथा प्र० परिषद की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1994-95 के दौरान डी०एम०एस० में अ०जा०/अ०ज०जातियों का नामांकन

स्तर/कक्षाएं	अजमेर			भुवनेश्वर			मैसूर			भोपाल		
	अ०जा०-	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़
I.	5	5	31	13	4	70	13	6	67	10	8	73
II.	7	1	37	7	6	68	13	4	72	11	7	24
III.	4	2	46	10	7	80	13	6	74	10	4	78
IV.	6	3	47	11	7	89	9	4	76	7	7	82
V.	3	1	47	15	10	126	12	—	89	11	9	88
VI.	5	—	48	21	7	138	14	1	66	13	5	95
VII.	5	2	88	22	8	136	19	2	87	8	3	84
VIII.	6	—	72	19	6	117	15	2	73	11	5	80
IX.	6	1	92	14	5	127	12	4	70	10	3	71
X.	7	2	117	12	2	126	3	2	61	12	4	72
XI.	4	—	95	8	1	100	6	1	74	6	1	67
XII.	1	—	88	6	3	150	3	—	48	5	3	89
	59	17	808	158	66	1327	132	32	857	114	59	903

स्रोत : रा०शै० अनु० तथा प्र० परिषद की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्व सेवा पाठ्यक्रम क्षे०इंजी०सं०/क्षे०इंजी०कालेज में अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों का नामांकन

पाठ्यक्रम	क्षे०इंजी०सं० अजमेर			क्षे०इंजी०सं० भुवनेश्वर			क्षे०इंजी०सं० मैसूर			क्षे०इंजी०सं० भोपाल		
	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़	अ०जा०	अ०ज० जा०	जोड़
बी०एड० (विज्ञान)	23	3	84	15	8	100	—	—	—	11	4	62
बी०एड० (वाणिज्य)	8	—	22	4	2	20	—	—	—	11	5	43
बी०एड० (कृषि)	6	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बी०एड० (इंजी०)	7	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बी०एड० (हिन्दी)	9	2	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बी०एड० (उर्दू)	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बी०एड० (बी०एस०सी०)	46	9	265	13	7	87	29	9	221	30	3	248
बी०एड० (बी०ए०)	—	—	—	9	8	66	18	8	127	30	6	189
बी०एड० (कला)	—	—	—	9	5	60	—	—	—	—	—	—
बी०एड० (बी०काम०)	—	—	—	4	2	20	—	—	—	—	—	—
बी०एड०	—	—	—	—	—	—	3	3	67	—	—	—
एम०एड०	2	—	15	3	2	19	3	2	25	3	1	24
एम०एस०सी० (एल०एस०)एड०	—	—	—	2	1	19	—	—	—	—	—	—
एम०एस०सी०एड०	—	—	—	—	—	—	11	—	107	—	—	—
जोड़	101	16	505	59	35	391	64	22	547	85	19	566

स्रोत: रा०शै०अनु० एवं प्र०प० की वार्षिक रिपोर्ट